कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
(वर्ष 2015-16)

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन	1
2	मुख्य अंश	2
3	भाग–1 प्रस्तावना	3-4
4	भाग–2 लेखा विसंगतियाँ	5-9
5	भाग–3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियाँ	10-24
6	परिशिष्ट – 1 से 28	25-73

प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी, संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की है। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन प्रतिकूल वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एंव हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड का 2015-16 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया है तथा मैं यह आशा करता हूँ कि यह समीक्षा रिपोर्ट कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने में एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

–ह0–
(अशोक सिन्हा)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड,

देहरादून
दिनांकः 15.07.2016
देहरादून।

मुख्य अंश

1	कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियाँ एवं विसंगतियाँ	(पैरा 2.1)
2	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकडों का मिलान-Non Reconciliation	(पैरा 2.3)
3	₹ 3.60 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व	(पैरा 2.4)
4	कोषागारों से ₹ 1.49 करोड़ के वांछित (wanted) वाउचर्स	(पैरा 2.5)
5	₹ 315.68 करोड के अनुपयोगी (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं करना	(पैरा 2.9)
6	अनाधिकृत लेखाशीर्षक का संचालन	(पैरा 3.3.1)
7	धनराशि ₹ 3.82 करोड की मूल्य वर्धित कर (VAT) राशि का गलत लघु–शीर्ष में लेंखाकन	(पैरा 3.3.2)
8	नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान ₹ 177.95 करोड के गलत लेखा शीर्ष से debit करना	(पैरा 3.3.3)
9	TR-24 से आहरित वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की राशि क्रमशः ₹4,34,91,000/- तथा ₹ 2,58,31,782/- का समायोजन न किया जाना	(पैरा 3.3.4)
10	e-भुगतान प्रणाली में Failed-Transaction को पुनः upload करने में विलम्ब	(पैरा 3.3.5)
11	e-भुगतान प्रणाली Failed Transactions के कारणवश लाभार्थियों को लाभ से वांछित रखना	(पैरा 3.3.6)
12	कोषागार द्वारा उपलब्ध साख सीमा से ₹ 14.92 करोड अधिक व्यय अभिलेखों में दर्शाया जाना	(पैरा 3.3.6)
13	त्रैमासिक नगद साख सीमा के उपयोग अवधि के अनुचित विस्तार से वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में ₹ 1.26 करोड की अनियंत्रित धन निकासी (Rush of Expenditure)	(पैरा 3.3.7)
14	पी0एल0ए0 खातो से ₹ 26.37 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी	(पैरा 3.3.9)
15	पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशियों ₹ 104.30 करोड का अनावश्यक अवरुद्ध रहना	(पैरा 3.3.10)
16	प्राप्तियों की अनुसूची (SOR) में 15 अंकीय वर्गीकरण का अंकन न होने से सम्बन्धित विवरण	(पैरा 3.3.11)
17	धनराशि ₹ 56,500/- का अनियमित (Irregular) व्यय	(पैरा 3.3.13)
18	वेतन मद के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष– Adverse Balance	(पैरा 3.3.16)
19	अनियमित बजट आवंटन/अवमुक्त	(पैरा 3.3.19)
20	निर्माण कार्य सस्थाओं के प्रेषण शीर्ष से सम्बन्धित धनराशियों का गलत वर्गीकरण	(पैरा 3.3.21)
21	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान	(पैरा 3.4.1)
22	MLA पेंशन ₹56,000/- का त्रुटिपूर्ण अधिक भुगतान	(पैरा 3.4.6)
23	₹ 5.15 लाख के मूल्य के बैंक ड्राफ्टस को विलम्ब से शासकीय खातों में जमा करना	(पैरा 3.4.7)
24	स्त्रोत पर आयकर ₹19.95 लाख की कटौती का न किया जाना	(पैरा 3.4.8)
25	जमाशीर्ष में ₹ 3.91 करोड की जमा धनराशि को व्यपगत नहीं किया जाना।	(पैरा 3.5.1)
26	जमा शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष	(पैरा 3.5.2)

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

"भाग-1 : प्रस्तावना"

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक कोषागार** उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागार/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उददे्श्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते है। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते है।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटीकृत एवं आनलाईन करते हुये 66 उपकोषागारों में कोषागार की भांति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी है तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

1.2 संरचना/संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2015-16 में कुल 18 कोषागार एवं 66 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक साईबर ट्रेजरी देहरादून में एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड (P.A.O.) नई दिल्ली में कार्यरत है।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागरों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को 2013-14 से समाप्त किया गया। यहाँ स्थापित डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग की जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक कक्ष एवं सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुबलीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जायेगा।

1.3.1 राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में से 18 कोषागारों, 33 उपकोषागारों का निरीक्षण वर्ष 2015-16 में किया गया।

1.3.2 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल से काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 36.82 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षो की स्थिति निम्न प्रकार है–

वर्ष	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पद**	**रिक्त पदों की प्रतिशत**
2013-14	888	558	330	37
2014-15	888	555	333	38
2015-16	888	561	327	36.82

निदेशालय कोषागार की सूचना अनुसार वर्ग 'ग' को छोडकर अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर कार्य कौशल है। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवार हैं:–

वर्ष	**कार्यरत**	**प्रशिक्षित**	**प्रशिक्षण का प्रतिशत की दर**
2013-14	558	476	85
2014-15	555	473	85
2015-16	561	479	85.38

"भाग-2 : लेखा विसंगतियाँ"

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियाँ/विसंगतियाँ

2.1 कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन निम्न उद्‌देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था।

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रोनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की पुनः प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों में निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ पायी गयी

2.1.1 Header और Detail में अन्तर--ई–कोश, ई–मेल और कोषागारों से सीडी या पैन ड्राईव से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है।

2.1.2 मुख्य लेखाशीर्ष 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और 7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का सहायक शीर्ष (कनेक्टिंग हेड) HO2 इन्टरफेस से नहीं खुलता है। इन लेखाशीर्षों की डाटा फीडिंग अभी भी मैनुअल (हाथ से) करनी पड़ती है। वाउचर की Hard Copy में वेतन देयक से भिन्न अन्य देयक 'ख' के अन्तर्गत Object Head 01 वेतन वाले वाउचर में कनेक्टिंग हेड का वर्गीकरण अंकित नहीं पाया जाता है। साथ–साथ मद–मानदेय (07) को भी मद वेतन (01) के रूप में अंकित किया जाता है।

2.1.3 मुख्य लेखाशीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का अनुदान संख्या-7 को (एक अंक) में दर्शाता है। जो कि 07 (दो अंकों) में खुलना चाहिए। मुख्य लेखाशीर्ष तथा 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय की अनुदान संख्या भी इन्टफेस से गलत खुलती है।

2.1.4 ए0सी0 बिल/ डी0सी0 बिल पर ए0सी0 बिल/डी0सी0 बिल स्पष्ट रूप में अंकित नहीं पाया जाता है। जिसके कारण वाउचर के पुस्तांकन में कठिनाई होती है तथा मासिक लेखों की शुद्वता भी प्रभावित होती है। तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5, भाग-2 के पैरा 249 व 162 का उल्लेख कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित नही होता है।

2.1.5 कोषागारों से प्राप्त हुए कुछ वाउचरों में आयोजनागत/आयोजनेत्तर तथा मतदेय/भारित का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है।

2.1.6 अधिकतर कोषागारों से प्राप्त वाउचरों के बन्डल रोल किये हुए होते है जिससे बन्डलों को खोलने में वाउचरों के कटने की पूर्ण सम्भावना रहती है। अतः वाउचरों को भली–भांति बिना रोल किये लिफाफे आदि में सुरक्षित भेजा जाए।

2.1.7 वेतन सम्बन्धित वाउचर और अन्य मदों के वाउचर पूर्णतः अलग–अलग क्रम से होने चाहिए जिससे पुस्तांकन में त्रुटि न हो।

2.1.8 मुख्य लेखाशीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ एंव 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के डी0डी0ओ0 को वाउचर पर अंकित डी0डी0ओ0 कोड से भिन्न कोड पर खुलते है, तथा सम्बन्धित अनुदान संख्या भी वाउचर पर अंकित अनुदान संख्या से भिन्न खुलती है।

2.1.9 आंशिक कोषागारों से मासिक लेखों में वाउचर या तो पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं या भिन्न मुख्य लेखाशीर्ष में पाये जाते है जिससे ऐसे वाउचर

की मासिक लेखा में उच्चन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकन की सम्भावना बनी रहती हैं, जिससे मासिक लेखों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

2.1.10 मुख्य लेखाशीर्ष 2075 विविध सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के मूल बजट में कोई प्रावधान नही किया गया। जिसके आभाव में पूरक बजट पारित होने तक ऐसी धन राशियाँ उच्चन्त लेखें में अनावश्यक लम्बित पड़ी रही।

उल्लेखनीय है कि उक्त मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित कोषागार द्वारा इंगित मदों में बिल पारित किये गये है, जो बिल पारण की वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। बिल पारित करते समय कोषाधिकारियों द्वारा बिल पारण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों और शासनादेशों की अनुपालना होनी चाहिए। ऐसी धनराशि या उच्चन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत/अनावश्यक असमायोजित पडी रहती है तथा लेखाओं पर विपरीत प्रभाव पडता है।

परन्तु वर्ष 2015-16 के लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान कोषागार अतंरापृष्ठीय से सम्बन्धित निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ प्रकाश में आयी हैं जिनका सुधार यदि इस कार्यालय द्वारा मैनुअली नहीं किया जाता तो ऐसी कमियों का निश्चित रूप से लेखों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता।

2.2 सहायक अनुदान एवं त्रैमासिक आय–व्यय से सम्बन्धित कमियाँ एवं विसंगतियाँ

- सहायक अनुदान के वाउचर की भी अलग से कोई पहचान नही होती है, एवं उनमें योजनागत/आयोजनागत मदों का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं होता है। जिससे की उनकी पहचान कर सही लेखांकन के साथ उचित रख–रखाव हो सके।
- किसी माह में समान धनराशि के एक से अधिक वाउचरों द्वारा धनराशि का आहरण दर्शाया जाता है तथा बाद में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई एक वाउचर द्वारा ही विभाग द्वारा व्यय है।
- कोषागार द्वारा मानक मद 51 (महंगाई वेतन) में वाउचर आहरित किये जाते हैं जबकि बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सूचना प्रेषित की जाती है कि सम्बन्धित मानक मद वर्तमान में बन्द है।
- विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2015-16 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पडता। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट-02** में दर्शाया गया है।

2.3 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकडों का मिलान

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आँकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2015-16 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण

एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारी/विभागाध्यक्षों के वित्तीय वर्ष 2015-16 में मिलान आख्या निम्नानुसार है:

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	05	43	5	26	6	26	9	34
आंशिक मिलान	18	7	7	10	7	15	4	17
मिलान नहीं कराया	25	12	36	26	35	21	35	11
कुल	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**	48	62
मिलान आख्या (%में)	**47.91**	**80.64**	**25**	**58.06**	**27.08**	**66.12**	**27.08**	**83.25**

- वित्तीय वर्ष 2015-16 मे चतुर्थ त्रैमास तक मिलान नही कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-03** में दर्शायी गयाी है।

2.4 3.60 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृष्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिये प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब वाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। **मई 2016 तक के ₹ 3.60 करोड़** के डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिये गए

(राशि करोड़ में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14	1454	112.23	1432	110.93	22	1.30
2014-15	84	4.33	72	2.84	12	1.49
2015-16	28	1.04	18	0.23	10	0.81
कुल	**1566**	**117.60**	**1522**	**114**	**44**	**3.60**

2.5 कोषागारों से ₹ 1.49 करोड़ के वांछित (wanted) वाउचर्स

मार्च, 2016 के अन्त तक ₹ 1.49 करोड़ के वाउचर्स (वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि तक) कोषागारों से मासिक लेखों के साथ प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण उक्त राशि आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखाशीर्ष के व्यय पक्ष में असमायोजित पड़ी रही। शासन एवं निदेशक कोषागार का सम्बन्धित कोषागारों को वाउचर्स अथवा भुगतान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत करने हेतु लिखा गया है। कोषागारों को बार–बार लिखने के उपरान्त भी इन धनराशियों के डुप्लीकेट वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये।

(परिशिष्ट-04)

2.6 मुख्य लेखाशीर्ष 7610 ऋण एवं अग्रिम के अपूर्ण वसूली अनुसूचियों (Recovery Schedules) के सम्बन्ध में

मुख्य लेखाशीर्ष 7610 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत अग्रिम/मोटर वाहन अग्रिम/स्कूटर अग्रिम/कम्प्यूटर अग्रिम आदि स्वीकृत किये जाते है। उक्त अग्रिमों के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज की वसूली प्रत्येक माह सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उनके वेतन से की जाती है। इसके उपरान्त राज्य के सभी कोषागारों द्वारा प्रत्येक माह मुख्य लेखाशीर्षक 7610 के अन्तर्गत प्राप्ति लेखों को इस कार्यालय में प्रेषित किये जाते है। जिनके साथ ऋणियों से वसूली का कर्मचारीवार अनुसूचियाँ (Recovery Schedules) भी प्रेषित की जाती है। उक्त अनुसूचियों द्वारा इस कार्यालय के सम्बन्धित विभागों के लेखाशीर्ष वार ब्राडशीट में अनुसूचियों से प्रविष्टि की जाती है तथा ऋणियों के लेखाओं का रखरखाव किया जाता है। वर्ष के अन्त में ऋण–अवशेष का ब्यौरा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।

परन्तु कुछ कोषागारों (निम्नानुसार सूची के अनुसार) द्वारा विभिन्न माहों में 7610 के अन्तर्गत प्राप्ति लेखे के साथ कर्मचारीवार अनुसूचियाँ (Loanee wise Recovery Schedules) इस कार्यालय को वित्त वर्ष 2015-16 में प्रेषित नहीं किये गये है, जिनके अभाव में इस कार्यालय के मुख्य लेखाशीर्ष 7610 के अन्तर्गत ऋणी से मूलधन/ब्याज की वसूली की धनराशि को कर्मचारी के ऋण खाते की ब्राडशीट में अंकित करना सम्भव नही हो पा रहा है तथा वार्षिक अवशेष प्रेषित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

(परिशिष्ट-05)

2.7 कोषागार से मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। उसी प्रकार समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार में समय से प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। लेखे की प्रथम सूची उसी माह की 13 से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में कुल 240 (20 कोषागार X 12 मास) मासिक लेखों को प्राप्त करके लेखांकन किया गया। वर्ष 2015-16 में कोषागारों द्वारा **02** से **66** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विलम्ब का मुख्य कारण उत्तराखण्ड राज्य में कोषागार कर्मचारियों द्वारा 45 दिनों का राज्य व्यापक हड़ताल रहा हैं।

(कोषागारों से लेखे देर से प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में लेखों का संकलन नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप शासन को मासिक लेखे प्रेषित करने में विलम्ब होता है।)

(परिशिष्ट-06)

2.8 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ

कोषागारों से प्राप्त आर0बी0डी0 के विवरण के साथ कोषागार/उपकोषागार के वी0डी0एम0एस0 संलग्न नहीं पाए जाते है ।

- विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों के मासिक लेखों एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ पाई जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान धनराशियों में पायी गई भिन्नताएँ निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार	माह	धनराशि
1.	नैनीताल	मई 15	100000.00 Dr.
2.	विकास नगर	दिसम्बर 15	156018.00 Cr.
3.	उत्तरकाशी	जनवरी 16	425.00 Cr.
4.	त्यूनी	फरवरी 16	122.00 Dr.
5.	रोशनाबाद, हरिद्वार	फरवरी 16	84731.00 Dr.
6.	भुगतान एवं लेखा कार्यालय	फरवरी 16	89144.00 Dr.

2.9 ₹ 315.68 करोड के अनुपयोगी (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही करना

वैयक्तिक लेखों खातों से सम्बन्धित नियमावली के अनुसार सरकारी विभागों के वैयक्तिक लेखे खातें मुख्य लेखा शीर्षक–8443 सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक–106 निजी जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक उक्त खातों में बची अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण कराना आवश्यक हैं। अतः उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 धारकों से यह अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में (31 मार्च) अवशेष/अनुपयोगी राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण सुनिश्चित करायें। लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न पी0एल0ए0 धारकों द्वारा उक्त नियम का पालन नही करतें हुए विभागी पी0एल0ए0 खातों में वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुपयागी/अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही कराया गया हैं।

(परिशिष्ट-07)

"भाग-3 : कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ"

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें

3.1 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम 1971 के भाग–18 के तहत महालेखाकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में समस्त कोषागारों/ उपकोषागारों का निरीक्षण लेखा परिक्षण नियमावली के अनुसार किया जाता है।

निरीक्षण दलों द्वारा वर्ष 2015-16 में 18 कोषागारों 33 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। कोषागार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कोषागारों/उप–कोषागारों की कार्यप्रणाली में नियमों/ प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2015-16 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण (**परिशिष्ट-08)** में दर्शाया गया है।

अनुशंसाः– निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2015-16 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	**प्रस्तरों की संख्या**
प्रारम्भिक शेष 2015-16	**137**	**795**
वर्ष के दौरान निरीक्षण	51	435
वर्ष के दौरान निस्तारण	82	687
वर्ष के अन्त में शेष	**106**	**543**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों का तीन वर्षों का विवरणः–

वर्ष	**निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या**	**प्रस्तरों की संख्या**
2013-14 तक	34	43
2014-15	25	96
2015-16	47	404
योग	**106**	**543**

3.2 लम्बित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु माह जून 2015, सितम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 में क्रमशः पौड़ी, लैन्सडाउन एवं नरेन्द्रनगर, उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में तीन स्थल विचार विमर्श आयोजित किये गये जिसमें निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, सम्बन्धित कोषाधिकारियों/ उपकोषाधिकारियों तथा इस कार्यालय के अधिकारियों ने उपमहालेखाकार (लेखा) की अध्यक्षता में भाग लिया जिसके फलस्वरूप जिला पौड़ी, लैन्सडाउन, नरेन्द्रनगर, उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में स्थापित कोषागारों एवं उपकोषागारों से सम्बन्धित लम्बित **43** निरीक्षण आख्यायें एवं **274** प्रस्तरों एवं **65** नमूना/सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणियों का निस्तारण किया गया।

(परिशिष्ट-09)

3.3 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.3.1 अनाधिकृत लेखाशीर्षक का संचालन

निर्धारित नियम अनुसार लेखाशीर्ष 1601 के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य सरकार को प्राप्त सहायता अनुदान से सम्बन्धित धनराशियों का समायोजन/पुस्तांकन कार्यालय महालेखाकार के स्तर पर होता है तथा पुस्तांकन से सम्बन्धित, कोषागरों के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होती है। वर्ष 2015-16 में विभिन्न कोषागारों द्वारा संकलित मासिक लेखा में लेखाशीर्षक 1601 केन्द्र सरकार से सहायता अन्य अनुदान–800 के अन्तर्गत ₹ **71,42,14,840/-** की धनराशि का पुस्तांकन किया गया है जोकि नियम के विरूद्व है।

ऐसी स्थिति में कोषागार द्वारा पुस्तांकित की गयी धनराशि में सम्बन्धित विभागों द्वारा गलत वर्गीकरण होने की प्रबल सम्भावनायें होती है।

(परिशिष्ट -10)

3.3.2 धनराशि ₹ 3.82 करोड की मूल्य वर्धित कर (VAT) राशि का गलत लघु–शीर्ष में लेंखाकन के सम्बन्ध में।

महालेखाकार नियंत्रक (CGA) भारत सरकार द्वारा दिनांक 29-08-2011 को निर्गत Correction Slip सं0 705 के अनुसार मूल्य वर्धित कर (VAT) की राशि का लेखांकन मुख्य लेखार्शीषक 0040- लघु र्शीषक 111 के अर्न्तगत कराना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कोषागार से अपेक्षित है कि मूल्य वर्धित कर (VAT) के रूप में प्राप्त राजस्व का लेखांकन/पुस्तांकन निर्धारित लेखा शीर्षक 0040-111 के अर्न्तगत सुनिशचित कराये। जिससे राज्य के लेखो में आंकडों का सही–सही खातो में अंकन सुनिशचित हो सके। कोषागार नरेन्द्रनगर के अभिलेखो की समप्रेक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट पत्रावली (Budget document) में उक्त लघु–शीर्षक 111 के नही खोलने के फलस्वरूप कोषागार द्वारा मूल्य वर्धित कर की प्राप्तियों का लेखांकन गलत लघु शीर्षक 0040-102 में किया है जो कि निर्धारित नियम के विपरीत हैं। कोषागार को चाहिए की प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए मूल्य वर्धित कर की राशियों का निर्धारित लेखा शीर्ष 0040-111 के अन्तर्गत सुनिशचित करायें।

3.3.3 नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान ₹ 177.95 करोड के गलत लेखा शीर्ष से debit करने के सम्बन्ध में ।

01-01-2005 के पश्चात् राज्य सेवा में कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों के NPS के अर्न्तगत कटौतियों Defined contribution scheme के अनुसार सुनिशचित कराना निर्धारित हैं। इस योजना के अनुसार कर्मचारियों से 10% वेतन + DA के बराबर की राशि एवं इसी राशि के बराबर Matching राशि के रूप में employers के contribution सहित सम्पूर्ण राशि को प्रधिकृत निधि मैनेजर (Designate Fund Manager) को NSDL के माध्यम से स्थानातरित किया जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के अशंदान एवं Employers के Matching Amount का पुस्तांकन लेखा शीर्षक 2071-117 के अर्न्तगत किया जाये। निरीक्षण में पाया गया कि राज्य के कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नही करते हुए NPS की समर्पूण राशि का लेखांकन कर्मचारी के सुसंगित लेखाशीर्ष के अर्न्तगत वेतन मद में आवटित बजट राशि के Gross amount से घटाया जाता है। जबकि नियमानुसार कर्मचारी के NPS अंशदान की मासिक कटौती सम्बन्धित विभाग के सुसंगित लेखा

शीर्ष तथा employers के Matching राशि की कटौती लेखाशीर्ष 2071-117 में होनी चाहिए।

(परिशिष्ट -11)

3.3.4 TR-24 से आहरित वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की राशि क्रमशः ₹4,34,91,000/- तथा ₹ 2,58,31,782/- का समायोजन न किया जाना।

कोषागार टिहरी में व्यवस्थित TR-24 पंजिका के अनुसार लेखाशीर्ष 2245-00-800-13 के अन्तर्गत जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वर्ष 2013-14 के माह सितम्बर 2013 को ₹ **4,34,91,000/-** तथा वर्ष 2014-15 को ₹ **2,58,31,782/-** TR-24 के माध्यम से आहरित किया। कोषागार के स्तर से TR-24 के माध्यम से विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के अन्तिम समायोजन सुनिश्चित कराने हेतु कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती हैं तथा यह निगरानी TR-24 पंजिका के माध्यम से कोषागार स्तर से रखी जाती हैं। उक्त पंजिका में आहरित धनराशि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरण जैसे आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम, शीर्ष, बजट प्रावधान, TR-24 से निकासी व्यय तथा TR-24 से निकासी का समायोजन अंकित होना चाहिए। कोषागार स्तर पर उक्त विवरण स्पष्ट न होने के कारण TR-24 से आहरित वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 को राशि क्रमशः ₹ **4,34,91,000/-** तथा ₹ **2,58,31,782/-** का समायोजन स्पष्ट नहीं हो पा रहा हैं।

इंगित करने पर कोषागार द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2013-14 में अवशेष धनराशि ₹ **2,58,31,782/-** का समायोजन अवशेष है जिसके समायोजन हेतु सम्बन्धित विभाग को पत्र प्रेषित कर दिए गए है। उत्तर संतोषजनक नही हैं क्योंकि इंगित राशियां TR-24 पंजिका में अब भी असमायोजित दिखाई गई हैं। तथा कोषागार द्वारा बताई गई अवशेष राशि ₹ **2,58,31,782/-** वर्ष 2013-14 के समायोजन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.5 e-भुगतान प्रणाली में Failed-Transaction को पुनः upload करने में विलम्ब।

वर्तमान में लागू e-भुगतान प्रणाली एवं Improved Computer technology व्यवस्था की उपलब्धता को द्ष्टिगत रखते हुए कोषागार से अपेक्षित है कि सर्वप्रथम Transaction के विफल होने के कारणों के अन्तिम रूप से दूर-समाधान करने के प्रयास करे यदि फिर भी किसी कारणवशं कोई Transaction विफल हो जाती है तो उस transaction को पुनः तत्काल upload कराने की व्यवस्था एवं Mechanism को सदृढ करे जिससे e-भुगतान प्रणाली व्यवस्था के लाभो जैसे लाभार्थियों के खातो में तत्काल धनराशि का स्थानान्तरण/आदि की पूर्ति हो सके। यदि Computer System में कोई खामी हो जिसके कारण transaction प्रायः विफल हो जाती हो तो System से सम्बन्धित इन खामियों के निस्तारण-समाधान हेतु कोषागार एवं उच्च अधिकारियों के स्तर पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। Transaction के विफल होने का मुख्य कारण कोषागार द्वारा Network का नही रहना बताया गया है तथा ऐसे failed Transaction को पुनः upload करने की व्यवस्था CTS के अन्तर्गत चार दिनों के पश्चात ही प्रदान की गई हैं। तात्पर्य यह है कि failed transactions को 4 दिनो के पश्चात् ही upload कराने का option है। इस प्रकार में से Computer- CTS प्रणाली में कमियों के कारणवशं e-भुगतान प्रणाली के लक्ष्यों की पूर्ति नही हो पा रही है। यानि भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थियों को चार (4½ दिनों के पश्चात् ही लाभ की प्राप्ति होती हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां एक ओर से लाभार्थियों को लाभ मिलने से वाछिंत रहना पडता है वही दूसरी ओर से लाभार्थियों द्वारा किये गये विभाग के विरूद्व RTI एवं Court cases की सम्भवता रहती है। 29-02-16 को कोषागार रूड़की में रू 3,84,616/- की Transaction fail हुई है।

3.3.6 e-भुगतान प्रणाली Failed Transactions के कारणवश लाभार्थियों को लाभ से वांछित रखने के सम्बन्ध में।

ई–भुगतान प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे भुगतान सामायिक रूप से सुनिशचित कराना कोषागार की प्रथम प्राथमिकता होना निर्धारित है जिससे ऐसे भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को यथासमय लाभ की प्राप्ति हो सके। यदि किसी कारणवश ई–भुगतान का स्थानानातरण विफल (Fail) हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोषागार का यह दायित्व है कि ऐसी विफल Transactions के पुनः तत्काल upload सुनिशचित कराये तथा किसी भी परिस्थिति में Failed Transaction को दुबारा खाता धारको के खातों में स्थानान्तरण हेतु Pending नही रखा जा सकता हैं। ऐसा करने से जहाँ एक और खाता धारकों को लाभ से वछिंत रहना पडता हैं वही दूसरी ओर से खाताधारको के RTI या न्यायालय प्रकरण की सम्भावनाएं बढ़ती है। अभिलेखो की जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट -12** में अंकित प्रकरणों में लगभग 3 से अधिक महीनो के समय बीत जाने के पश्चात् भी Failed Transactions को पुनः खाते धारको के खातो में भुगतान नही किया हैं।

(परिशिष्ट -12)

3.3.7 कोषागार द्वारा उपलब्ध साख सीमा से ₹ 14.92 करोड अधिक व्यय अभिलेखों में दर्शाया जाना।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोषागारों द्वारा निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को जारी साख सीमा का नियन्त्रण कार्य पूर्ण रूप से सौंप दिया गया था, कोषागारों का दायित्व था कि वे किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध साख सीमा से अधिक भुगतान न होने दें। इसके लिए कम्प्यूटरीकृत पद्धति में आवश्यक Checks (निरोधक उपाय) का प्रावधान करें।

Input-7 के अवलोकन में पाया गया कि लघु डाल खंण्ड अल्मोडा के पास उपलब्ध साख सीमा ऋणात्मक थी। फिर भी खण्ड को भुगतान हुआ। कोषागार ने अपने उत्तर में बताया कि साख सीमा के विरूद्व व्यय पूर्व में अवशेष साख सीमा से हुआ। साख सीमा का निगर्मन त्रैमासिक होता है और त्रैमास में अवशेष साख सीमा Lapse हो जाती है। इसलिये पूर्व अवशेष नहीं होना चाहिए।

ऋणात्मक व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

खण्ड का नाम	उपलब्ध साख सीमा	कुल व्यय	अवशेष
PMGSY खण्ड, अल्मोडा	1587000	1769144	(-)182144
PMGSY निर्माण खण्ड, अल्मोडा	933000	1265003	(-)332003
PMGSY सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोडा	6918000	8847055	(-)1929055
निर्माण खण्ड 2 अल्मोडा	47400000	53318361	(-)5918361
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोडा Code 1856	15955858	47358663	(-)31402805
निर्माण खण्ड अल्मोडा Code 1629	28153858	82366027	(-)54212169
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा	10533263	46368166	(-)35834903
वन विभाग, अल्मोडा Code 3035	998000	15328746	(-)14330746
सिविल सोयम	3207000	6038319	(-)2831319
Soil Conservation	3228400	5433400	(-)2205000
			14,91,78,505

3.3.8 त्रैमासिक नगद साख सीमा के उपयोग अवधि के अनुचित विस्तार से वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में ₹ 1.26 करोड की अनयंत्रित धन निकासी (Rush of Expenditure)

बजट आवंटन एवं बजट अनुशासन (Discipline) के मूल–भूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समयावधि के पश्चात् अवशेष धनराशि का शासकीय खातों में प्रत्यार्पण करना अनिवार्य है। नगद साख सीमा के अर्न्तगत अवमुक्त करायी गई धनराशि की उपयोग अवधि त्रै–मासिक होने के कारण त्रै–मास के अन्त में अवशेष राशि का इस प्रकार के शासकीय खातों में प्रत्यार्पण करना आवश्यक होता है। साख सीमा की उपयोग अवधि का अनुचित तथा अनावश्यक रुप से विस्तार करने से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भावनाएं होती है। तथा प्रायः विभागों द्वारा साख–सीमा की उपयोग अवधि का विस्तार केवल आवंटित धनराशि को व्यय न करने की स्थिति में शासकीय खातें में प्रत्यार्पण की स्थिति से बचने के उद्देश्य से किया जाता है।

अतः शासन एवं कोषागार स्तर से साख–सीमा का विस्तार केवल विशेष परिस्थियों में प्रदान करने हेतु निगरानी की आवश्यकता होती है।

निरीक्षण में पाया गया कि विभागों की साख सीमा का विस्तार विशेषकर चतुर्थ त्रै–मास में उपयोग करने हेतु विशेष परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है तथा उपयोग अवधि का विस्तार As a Routine Affair के रुप में किया जाता है। फलस्वरुप वित्तीय वर्ष के अन्त में विशेषकर मार्च के महीने में इन विभागों द्वारा प्रत्यार्पण से बचने हेतु अनावश्यक रुप से धन निकासी की जाती है और इस प्रकार आहरित धनराशि का विभागों द्वारा, बैंक खातों में/दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भवनाएं होती है।

क्रम संख्या	विभाग/खण्ड	उपयोग अवधि के विस्तार का दिनांक	उपभाग दिनांक पर अवशेष धनराशि	मार्च के माह में निकासी
1	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर चमोली	16-03-2015 02-03-2015 शासन	₹ 1,18,53,470/-	₹ 1,13,57,430/– इसमें से 31/03/2015 को आहरित धनराशि रु 91,20,320/–
2	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, चमोली	27-03-2015 24-03-2015	₹ 24,64,410/-	₹ 12,70,190/- इसमें से 31.03. 2015 को आहरित धनराशि रु 12,34,580/-
			योग	**₹1,43,17,880/-**

3.3.9 कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करना।

सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के समय से निर्गत न होने से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किये जाने में अवरोध उत्पन्न होता है। नकद साख सीमा (C.C.L.)/जमा साख सीमा (D.C.L.) के निर्गत करने की वास्तविक सूचना सम्बन्धित बैंक शाखा को एवं विभागों अथवा खण्डों को तत्काल प्रेषित करना अनिवार्य है। कोषाागरों के निरीक्षण में पाया गया कि **02 दिन** से **34 दिन** तक विलम्ब से कोषागारों द्वारा सूचनायें दी गयी।

(परिशिष्ट–13)

3.3.10 पी0एल0ए0 खातो से ₹ 26.37 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।

व्यक्तिक लेखा खातों के खोलने की सुविधा/सृजन का उद्देश्य/ प्रयोजन आहरण–वितरण अधिकारी को सरकारी समयबद्ध योजनाओं के कार्यान्व्यिन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसी प्रकार व्यक्तिक खातों का वास्तविक उद्देश्य विभागीय अध्यक्षों को सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति प्रदान करना है।

उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिक लेखा खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता में तथा निर्धारित कार्यो के निष्पादन के लिए बिल के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशि को आहरित करते समय अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रायः यह पाया गया है कि इन खातों की सुविधा के प्रयोजन का उल्लंघन हो रहा है जिसके कारण इन खातों का काफी दुरूपयोग हुआ है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर खातों से धन निकासी पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है। ऐसी स्थिति में **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर आहरित धनराशि पी0एल0ए0 धारकों द्वारा आहरित धनराशि का अनावश्यक रूप से बैंक में जमा की जाती है तथा इस स्थिति में शासकीय राशियों के दुरूपयोग होने की प्रबल सम्भावनायें होती है। वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर धनराशि **₹ 26,37,31,976/-** का आहरण किया गया जिससे कोषागार के स्तर पर अत्यन्त निगरानी का अभाव सिद्ध होता है। राज्य की अर्थव्यस्था सुदढ़ बनाये रखने हेतु कोषागार के स्तर पर व्यक्तिक खातों से **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर अनियंत्रित निकासी पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

(परिशिष्ट –14)

3.3.11 पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशियों ₹ 104.30 करोड का अनावश्यक अवरुद्व रहना।

कोषागार देहरादून के वित्तीय वर्ष 2014-15 की पी0एल0ए0 खातों सम्बन्धित अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि उक्त कोषागार में आंशिक ऐसे पी0एल0ए0 खाता धारक भी हैं, जिनके पी0एल0ए0 खाता खोलने/अन्तिम नवीनीकरण लगभग दस वर्ष पुराना है। कुछ उक्त खातों में लेन देन भी लगभग आठ पूर्व वर्ष ही हुआ है। ऐसे खातों में अवशेष धनराशियां भी अवरुद्व पड़ी हुई है। ऐसी धनराशियों का उपयोग न होने के कारण सम्बन्धित वित्तीय वर्षो का बजट प्रभावित हुआ है, और धनराशियाँ भी अनावश्यक अवरुद्व हुई है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 में उल्लेखित निर्देशों एंव शासन द्वारा समय–2 पर निर्गत सम्बन्धित शासनादेशों के अनुरुप ही पी0एल0ए0 खातों का संचालन कोषागार पर किया जाता है। पी0एल0ए0 खाता धारकों द्वारा ऐसी धनराशियों अवरुद्व रखने से पार्किग आंफ फण्ड की सम्भावना प्रबल हो जाती है। जो किसी भी राज्य की स्वस्थ वित्तीय स्थिति के लिए उचित नहीं है। ऐसे पी0एल0ए0 धारकों का विवरण निम्न है।

पी0एल0ए0 खाताधारक वित्तीय वर्ष 2014-15					
कम सं0	खाता धारक (पद नाम)	खाता खोलने/ नवीनीकरण का दिनांक	मुख्य लेखा शीर्ष	अन्तिम लेन देन दिनांक	अन्तिम शेष की धनराशि (रु में)
1	निदेशक, राजा जी	21.04.2005	8229-200	23.05.2007	20,000

	नेशनल पार्क देहरादून				
2	अतिरिक्त सी.ई.ओ. एण्ड एफ सी यू के. के.बी.आई.बी. देहरादुन	21.01.2010	8443-800	31.03.2014	6,26,38,692
3	जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून	15.09.2014	8443-106	31.03.2014	87,49,35,160
4	एफ.सी.यू.के., परिवहन निगम, देहरादून	14.05.2015	8443-800	31.03.2014	10,00,00,000
5	गढ़वाल मण्डल विकास निगम, (जी एम वी एन)	04.06.2014	8443-800	29.03.2008	54,06,156
				योग–	**1,04,30,00,008**

3.3.12 प्राप्तियों की अनुसूची (SOR) में 15 अंकीय वर्गीकरण का अंकन न होना से सम्बन्धित विवरण

प्राप्ति से सम्बन्धित लेखा अभिलेखो की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चालानो में वर्गीकरण 13-15 अंको का न करके केवल मुख्यलेखाशीर्ष अथवा लघुशीर्षक तक या त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण किया जाता है, जिस कारणवश पोस्टिंग रजिस्टर में अंकित वर्गीकरण एवं चालान में अंकित वर्गीकरण में भिन्नता रह जाती है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा चालानों पर 15 अंकों वाले वर्गीकरण अंकित करने के पश्चात् कोषागारों द्वारा अपने सिस्टम में फीडिंग करते समय 15 अंकीय वर्गीकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है। सत्यापन पर यह पाया गया कि कोषागार सिस्टम में कुछ तकनीकी समस्या के कारण 15 अंकीय वर्गीकरण सम्भव नही हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में धनराशियाँ का सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा नहीं हो पाती जिसके कारण कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवमं हकदारी द्वारा बनाये जाने वाले वित्तीय लेखो में पारदर्शिता एवं शुद्धता बाधित होती है।

(परिशिष्ट -15)

3.3.13 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निर्धारित निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा एतद्दर्थ प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार हर वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस निरीक्षण के करने की उस वर्ष में, जिसमें विभाग के लेखा अधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण किया जा चुका हो आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण ऐसे समय से हो कि उसकी निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति उस समय उपलब्ध रहे जब आयुक्त कोषागार के निरीक्षण के लिये आये।

वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया था।

(परिशिष्ट -16)

3.3.14 धनराशि ₹ 56,500/- का अनियमित (Irregular) व्यय।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/शासनादेश 2088/24(39)/ एम0एम0पी0(टी0)/प्रवि0/ नि0को0वि0से0/ 2013 दिनांक 25-03-2014 के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 इलेक्ट्रो इक्यूपमेंट, रूड़की द्वारा जेनरेटर को सीधे उप–कोषागार पाखरी में आपूर्ति कराना एवं Install कराना निर्धारित था। परन्तु लेखो की जांच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता ने उक्त जेनरेटर, उप–कोषागार में सीधे आपूर्ति नहीं की, बल्कि जेनरेटर को मुख्य मार्ग पर उतार कर, मुख्य मार्ग से उप–कोषागार कार्यालय में, (550 मीटर) पहुँचाने हेतु ढुंलाई (Transportation) चार्ज के रूप में रू 56,500/- का बिल प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार उक्त शासनादेश की शर्त को दृष्टिगत रखते हुए रू 56,500/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, जो कि शासनादेश की शर्तो को विरूद्ध है, जिसमें आपूर्तिकर्ता को जेनरेटर को सीधे उप–कोषागार, पोखरी कार्यालय में पंहुचाना अनिवार्य था। यद्यपि निदेशक कोषागार द्वारा तत्पश्चात् उक्त राशि का बजट प्रावधान कराया गया, परन्तु बजट प्राप्त करने सम्बन्धी उपकोषागार के स्तर से कोई भी प्रस्ताव निदेशक कार्यालय को नहीं भेजा गया। अतः बजट आंवटन सहित निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया।

3.3.15 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सा0भ0नि0 के प्राधिकार पत्रों का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नही हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते है तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण पत्र के साथ पुर्नभुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, साथ ही कोषागार स्तर से सम्बन्धित विभागों को प्राधिकार पत्रों के बिल प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, परन्तु विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परिशिष्ट 16 में दर्शाये गए प्रकरणों में कोषागार द्वारा ना तो भुगतान ही कराया गया और ना ही ऐसे कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार का वापस किया गया।

(परिशिष्ट –17)

3.3.16 सामान्य भविष्य निधि /नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशनरस/ कर्मचारियों के वेतन से अंशदान एवं सरकारी अंशदान की कटौती न किया जाना।

नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + ग्रेडपे + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नव नियुक्ति सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय

ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके '' खाता संख्या'' का आंवटन करायें। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी परिशिष्ट 17 में दर्शाये गए प्रकरणों में नई पेंशन स्कीम की राशि न तो कर्मचारियों से काटी जा रही है और न ही सरकारी अंशदान जमा किया गया है।

इसी प्रकार सामान्य भविष्य निधि के नियमानुसार कर्मचारियों/अधिकारियों के शासकीय सेवा में आने के 01 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सा0भ0नि0 अंशदान की कटौती का किया जाना अनिवार्य है परन्तु उपकोषागार के वेतन बिल के निरीक्षण में पाया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नहीं काटा जा रहा है।

(परिशिष्ट -18)

3.3.17 वेतन मद के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष– Adverse Balance

वर्तमान में लागू CTS प्रणाली के अनुसार किसी भी मद के अन्तर्गत व्यय तभी पारित होगा। यदि उस मद के अन्तर्गत पर्याप्त बजट हो यदि बजट पर्याप्त नही है तो CTS प्रणाली द्वारा ऐसे व्यय को पारित नही किया जाता है। सामन्य वित्तीय नियम के अनुसार भी शासकीय खातों से आहरण/व्यय बजट की उपलब्धता पर निर्भर है अतः व्यय करने से पूर्व यह सुनिशचित कराना अतिआवश्यक है कि प्रस्तावित व्यय के विरूद्व बजट की उपलब्धता हो तथा किसी भी परिस्थिति में किसी भी मद में प्रतिकूल अवशेष नही हो। परन्तु कोषागार रूड़की के अभिलेखों की जांच (Test) में पाया गया CTS प्रणाली के अन्तर्गत general Budget Register में प्रतिकूल अवशेष दर्शाता है। प्रथम दृष्टिया यह त्रुटि सम्भवतः System से समबन्धित है तथा कोषागार से अपेक्षित है कि उक्त त्रुटियों के निस्तारण हेतु समुचित उपाय करें।

(परिशिष्ट -19)

3.3.18 पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वेतन बिलों पर 9300-34800 में ग्रेड वेतन 4200, 4600 एवं 4800 पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सा0भ0नि0 का रखरखाव चतुर्थ श्रेणी में किया जाना।

उत्तराखण्ड सा0भ0नि0 नियमानवली 2006 के नियम 2(1)(क) के अनुसार द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के सा0भ0नि0 का रखरखाव महालेखाकार के स्तर पर किया जाना निर्धारित है। परन्तु बागेश्वर कोषागार के निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वेतन बिलों पर 9300-34800 में ग्रेड वेतन 4200, 4600 एवं 4800 पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सा0भ0नि0 का रखरखाव चतुर्थ श्रेणी में किया जा रहा है जोकि नियम विरूद्व है। उल्लेखनीय है कि IPAO प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभागों के वेतन सम्बन्धित DDO पावर कोषागार के पास है। अतः कोषागारों से अपेक्षित है कि सम्बन्धित विभाग से उक्त कर्मचारियों के सा0भ0नि0 खाता संख्या प्राप्त करके मासिक कटौतियों का विवरण कार्यालय महालेखाकार को मासिक आधार पर प्रेषित करें।

3.3.19 त्रुटिपूर्ण लेखो (Misclassification) के संशोधित लेखे (Correction of Accounts) नहीं भेजने के सम्बन्ध में।

निर्धारित नियमानुसार मासिक लेखों के संकलन में कोषागार/विभागों के स्तर से यदि किसी लेन–देन (Transaction) के लेखांकन में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण होता है, तो ऐसे लेन–देनके सही वर्गीकरण हेतु आपेक्षित है कि कोषागार कार्यालय

महालेखाकार को ऐसे ट्रांजक्सन का Correction of Accounts तत्काल प्रेषित करें, जिससे राज्य के मासिक लेखों में आंकडों का सही अंकन हो।

परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार द्वारा मासिक लेखों में लेखाशीर्षक 1601-04-800-79-02 में त्रुटिपूर्वक लेखांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

कोषागार द्वारा वर्तमान में चल रहे निरीक्षण दिनांक तक उक्त त्रुटि से सम्बन्धित Correction of Accounts कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित नहीं किये गये, जिससे राज्य के मासिक लेखो की शुद्धता (Correctness) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

माह	लेखाशीर्षक	धनराशि (₹में)
12/2013	1601-04-800-79-02-00	9,30,600
01/2014	1601-04-800-79-02-00	38,773
02/2014	1601-04-800-79-02-00	2,19,710
10/2013	1601-04-800-79-02-00	1614
07/2013	1601-04-800-79-02-00	1275
03/2014	1601-04-800-79-02-00	81,129
03/2014	1601-04-800-79-02-00	1,168
योग		**12,74,269**

3.3.20 अनियमित बजट आवंटन/अवमुक्त

बजट प्रबन्धन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमण्डल द्वारा विगत्त प्राकलन प्रधिकारियो (Estimating Aothority) की वार्षिक मॉग– Demands for Grants के आधार पर सर्म्पूण वित्तीय वर्ष के लिए बजट पारित/स्वीकृत किया जाता है तद्पश्चात पारित बजट को सम्बन्धित प्राकलन प्राधिकारियों को अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सर्म्पूण वर्ष का बजट आवमुक्त कराने हेतु प्रेषित किया जाता हैं। तात्पर्य यह है कि नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को हर वर्ष के व्यय हेतु एक बार में बजट आवंटन कराया जाना निर्धारित है। यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी भी मद के अन्तर्गत वर्ष में आंवटित बजट कम पड़ता है तो अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन करके विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक बजट (Supplementry Budget) के रूप में पुनः अतिरिक्त बजट पारित किया जाता है तथा नियन्त्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। अतः उक्त बजट अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट नियन्त्रक अधिकारियों का दायित्व हैं, कि शासन द्वारा आवंटित बजट राशि को एकमुश्त पूरे वर्ष के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारियों को व्यय हेतु आवमुक्त करायें।

कोषागार रूड़की के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि कुछ बजट नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा उक्त निधार्रित प्रक्रिया के विपरीत मासिक आधार पर बजट आवटंन किया जाता हैं। वर्ष 2014-15 में मासिक आधार पर बजट आवमुक्त ऐसी नियन्त्रक अधिकारियों के प्रकरण निम्नवत है। उल्लेखनीय यह है उक्त बजट आवटंन वेतन मद से समबन्धित है।

क्रम सं0	वित्त नियन्त्रक एव आहरण वितरण अधि0 का नाम	आवमुक्त राशि (₹में)	दिनांक	मद
1	Head Master GHSS Landora	7,50,000	01.06.2015	वेतन
		7,50,000	21.07.2015	वेतन
		4,32,000	07.11.2015	वेतन
		1,50,000	30.01.2016	वेतन
		2,09,540	25.02.2016	वेतन

2	Principal GGIC Baggawala	16,00,000	01.06.2015	वेतन
		9,00,000	25.08.2015	वेतन
		7,00,000	05.11.2015	वेतन
		49,000	11.01.2016	वेतन
		21,54,450	19.02.2016	वेतन
3	Dy. Education officer (elementry)	5,00,00,000	18.05.2015	वेतन
		2,00,00,000	08.07.2015	वेतन
		1,00,00,000	16.10.2015	वेतन
		30,00,000	30.11.2015	वेतन
		1,50,00,000	18.12.2015	वेतन
		40,00,000	31.12.2015	वेतन
		60,00,000	27.01.2016	वेतन

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन के तौर पर मासिक आधार पर बजट आवमुक्त कराने की परम्परा जहाँ एक ओर से बजट प्रबन्धन/अनुशासन के विरूद्व है वही दूसरी ओर मासिक वेतन वितरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।

3.3.21 ₹ 3.58 लाख के लागत के निर्माण कार्य में अपूर्णताएं।

कोषागार द्वारा सदर कोषागार चमोली के भवन में अभिलेख कक्ष के निर्माण एवं रंग–रोगन/मरम्मत हेतु दिनांक 30.02.2015 को लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर को लेखाशीर्ष में धनराशि रु 3,58,000/– जमा कराए गयें, तथा लोक निर्माण विभाग को उक्त निर्माण एवं अन्य कार्य दिनांक 31.03.2015 तक आवश्यक रुप से पूर्ण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया।

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण अपूर्णतांए पाई गई जिससे निर्माण एवं अन्य कार्यो का निर्धारित मानक के अनुसार कराए जाने की वास्तविक रुप से पुष्टि नहीं हो रही है।

महत्वपूर्ण अपूर्णताएँ

1. निर्माण कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी "कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र" (Completion Certificate) पत्रावली में नहीं पाया गया।
2. कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, चमोली) द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् Handover Certificate निर्गत नहीं किया गया।
3. निर्माण कार्य एवं रंग–रोगन वास्तव में मानक एवं समझौता ज्ञापन के शर्तो के अनुरुप कराया गया का प्रमाण पत्र, पत्रावली में नहीं पाया गया।
4. यदि कोषागार द्वारा यह पाया गया कि निर्माण एवं अन्य रंग–रोगन कार्य निर्धारित शर्तो के अनुसार नहीं कराया गया, तो इससे सम्बन्धित आपत्तियों का पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

3.3.22 निर्माण कार्य सस्थाओं के प्रेषण शीर्ष से सम्बन्धित धनराशियों का गलत वर्गीकरण।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं जिनमें लोक निर्माण विभाग, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सम्मिलित है से सम्बन्धित सभी प्रेषण लोक निर्माण विभाग प्रेषण के नाम से जाने जाते है जिनका वर्गीकरण भी लोक निर्माण विभाग के प्रेषण शीर्ष "8782-00-102" के अन्तर्गत किये जाने चाहिए।

विभिन्न कोषागारों (पिथौरागढ़, हल्द्वानी एवं बागेशवर) के मासिक लेखा अभिलेखों की जांच से संज्ञान में आया कि निर्माण कार्य विभागों से सम्बन्धित

धनराशि जो कोषागार में प्रेषण की जाती है, को कोषागार में सम्बन्धित प्रेषण शीर्ष 8782-00-102 में लोक निर्माण विभाग का प्रेषण दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त अन्य विभागों का प्रेषण क्रमशः मुख्य एवं मध्यम सिंचाई विभाग के प्रेषण 8782-00-108-01, ग्रमाणी अभियन्त्रण सेवा विभाग के प्रेषण 8782-00-108-02, एवं लघु सिंचाई विभाग के प्रेषण 8782-00-108-03 के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है।

निरीक्षण में इंगित किए जाने पर कोषाधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्राप्ति/भुगतान से सम्बन्धित समस्त लेखाशीर्षक निदेशालय डाटा सेन्टर द्वारा दिये गये साफ्टवेयर के अनुसार सम्बन्धित विभागों के अनुसार जमा धनराशि का अंकन कोषागार द्वारा किया जा रहा है।

3.3.23 ₹ 1,70,000/- की कम्प्यूटर स्टेशनरी के क्रय में सक्षम अधिकारी की संस्तुति नहीं लेने के सम्बन्ध में।

निर्धारित नियमानुसार विभागीय उपयोग हेतु यदि किसी लेखन सामग्री एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी के क्रय करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उक्त आवश्यक सामग्री की Requirement का आकलन किया जाता है, तत्पश्चात् विभागीय अध्यक्ष से उक्त सामग्री के क्रय करने हेतु प्रशासनिक संस्तुति एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात् ही प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश अथवा आपूर्ति से सम्बन्धित पत्र निर्गत किया जाता है।

कोषागार द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹1,70,000/- के मूल्य की कम्प्यूटर स्टेशनरी से सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष (कोषाधिकारी) की पूर्व प्रशासनिक संस्तुति (Prior Administrative approval) एवं व्यय की स्वीकृति (Sanction of Expenditure) प्राप्त नहीं की गई है, जो कि वित्तीय नियम के विरुद्ध है।

3.4 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.4.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का एक अतिरिक्त दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों–पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारणवश सेवानिवृत्त लाभों का कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। परिशिष्ट 20 में दर्शाये गए प्रकरणों में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण के मद में ₹13,82,062/- एवं ₹ 42,59,100/- का अधिक या कम भुगतान क्रमशः किया गया।

(परिशिष्ट –20)

3.4.2 2198 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को बैंक/डी0पी0डी0ओ0 को हस्तान्तरित ना करना।

नियन्त्रक रक्षा लेखा (सी0डी0ए0) पेंशन इलाहाबाद के पत्रांकः दिनांक 18.10.2006 के अनुसार सैनिक पेंशनरों का भुगतान कोषागार के स्थान पर सीधे बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करना था। इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार

उत्तराखण्ड देहरादून ने आदेश दिनांक 31.10.2006 के द्वारा भारत सरकार के रक्षा पेंशनरों (सैनिक पेंशन) को सीधे बैंकों को भेजने के निर्देश दिये है।

तत्पश्चात् रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (Defence Pension Dibursment Office) देहरादून द्वारा निर्देश दिया गया था कि पेंशन प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 (Defence Pension Dibursment Office) के कार्यालय में हस्तान्तरित किया जाए। परन्तु कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा **2198** सैनिक पेंशनरों के प्रकरण डी0पी0डी0ओ0 अथवा निर्धारित बैंक शाखा में हस्तान्तरित करना अभी भी अपेक्षित है।

(परिशिष्ट –21)

3.4.3 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से भुगतान करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा एक निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता राशि का भुगतान करने की व्यवस्था निर्धारित है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा राशि का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड रहा है तथा साथ ही निर्धारित नियम का उल्लघंन भी हो रहा है। कोषागारों द्वारा या तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है या यदि किया भी जा रहा है तो वो निर्धारित दर से कम किया जा रहा है।

(परिशिष्ट –22)

3.4.4 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप्स 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0अ0सा0नि0) अनुभाग-7 संख्या-419/XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त शासनादेंश का अनुपालन नही किया गया हैं। तथा बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही की हैं।

(परिशिष्ट –23)

3.4.5 छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को छठे वेतनमान द्वारा अनुमानित पेंशन का निर्धारण करना अनिवार्य था तथा उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए कोषागारों से अपेक्षित था कि निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन भुगतान नए पेंशन दर से भुगतान करें। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा निम्न तालिका में अंकित पेंशनरों के प्रकरणों में छठे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन राशि का निर्धारण नहीं किया गया जिसके कारणवश सम्बन्धित पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की पेंशन वृद्दि से वंचित होना पड़ा।

(परिशिष्ट –24)

3.4.6 MLA पेंशन ₹56,000/- का त्रुटिपूर्ण अधिक भुगतान

उत्तराखंड शासन के विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना दि. 01.05.2008 के अध्याय-11 की धारा 22(ग) अनुसार- जहां कोई व्यक्ति किसी भी सदन के सदस्य के रुप में किसी भी राज्य की विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित अथवा नाम निर्दिष्ठ किया जाये और ऐसा सदस्य बना रहे तो वह अधि–सूचना की धारा-20 के अन्तर्गत मिल रही पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा।

कोषागार देहरादून के निरिक्षण के दौरान श्री बी.सी.खण्डूरी भूतपूर्व विधान सभा सदस्य PPO No. VK/MLA/0059 GR No.C01535100 की पेंशन पत्रावली एवं वार्षिक पेंशन विवरण वर्ष 2014-15 की जांच से संज्ञान में आया कि श्री खण्डूरी का विगत वर्ष 2014 में संसद सदस्य चुने जाने के पश्चात भी माह सितम्बर–2014 तक MLA पेंशन रु 14000/- प्रतिमाह का भुगतान किया गया था, जो पैरा-1 में उल्लखित धाराओं का उल्लंघन है। उक्त धाराओं के अनुसार श्री खण्डूरी से ₹56000/- की पेंशन राशि वसूली योग्य थी, जो कि कोषागार स्तर से नही की गई निरीक्षण दल द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाये जाने पर विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया था लेकिन निरीक्षण तिथि तक वसूली नही की गई थी।

3.4.7 ₹ 5.15 लाख के मूल्य के बैंक ड्राफ्टस को विलम्ब से शासकीय खातों में जमा करने के सम्बन्ध में।

शासकीय देय धनराशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्टस को तत्काल शासकीय खातों में चालान द्वारा जमा करना आवश्यक है। अतः किसी भी स्थिति में शासकीय प्राप्तियों को अनावश्यक रूप से शासकीय खातों से बाहर नही रखा जा सकता हैं। अतः यह कोषागार का दायित्व है कि बैंक ड्राफ्टस के माध्यम से अर्जित/प्राप्त शासकीय राजस्व को तुरन्त शासकीय खातो में जमा करना सुनिशचित कराये। कोषागार के अभिलेखो की समीक्षा में पाया गया कि अधिक पेंशन वसूली सम्बन्धित प्राप्त बैंक ड्राफ्टस को कोषागार द्वारा विलम्ब से शासकीय खातो में जमा कराया गया हैं। निम्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार विलम्ब की अवधि 27 दिनों से 73 दिनों तक की पायी गयी जो कि नियम के विपरीत हैं।

(परिशिष्ट-25)

3.4.8 स्त्रोत पर आयकर ₹19.95 लाख की कटौती का न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराने का प्रावधान है परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है। वर्ष 2015-16 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि **₹ 19,94,973/-** की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए है।

(परिशिष्ट-26)

3.5 जमा शीर्षों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.5.1 जमाशीर्ष में ₹ 3.91 करोड की जमा धनराशि को व्यपगत नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 पैरा –351 एवं पैरा 351 ए के नियमों के अनुसार विभिन्न जमाशीर्षों के अन्तर्गत सभी जमा धनराशियाँ जिनका भुगतान उनके जमा होने की दिनांक के तीन वर्ष के भीतर नहीं होता है, वे नियमानुसार शासन को निर्धारित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यपगत किये जाने का प्रावधान है। निरीक्षण में पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा 03 वर्ष से अधिक जमा धनराशि **₹3,91,30,425 /-** को व्यपगत नहीं किया गया था जो कि निर्धारित नियमों का उलंघन है।

(परिशिष्ट –27)

3.5.2 जमा शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष।

निर्धारित नियम अनुसार जमा शीर्ष के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में कभी प्रतिकूल अवशेष (Adverse Balance) नही होना चाहिए अतः कोषागार से अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित कराये कि किसी भी परिस्थिति में विभिन्न जमा शीर्षा के अन्तर्गत जमाकर्ता द्वारा जमा करायी गयी जमा राशियों का अवशेष Closing Balance Adverse नही हो। कोषागार रूड़की के निरीक्षण में पाया गया कि कुछ जमा शीर्षको के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष परिलक्षित हुयी है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमता हैं।

(परिशिष्ट –28)

3.5.3 धनराशि ₹10,000/- की लैप्स जमा का भुगतान (Refund) गलत लेखाशीर्षक में।

निर्धारित नियमानुसार जमा राशियों (Civil court) का भुगतान यदि 03 वर्ष की समयावधि के भीतर नही किया जाता है तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में लैप्स किया जाना होता है तत्पश्चात इसकी भुगतान (Refund) महालेखाकार कार्यालय की स्वीकृति आदेश एवं स्तर पर शासकीय खाते 0070-800 में जमा किया जाता है निर्धारित नियमानुसार लैप्स राशियों का समायोजन महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर T.E. द्वारा लेखा शीर्ष 0075-800 के अन्तर्गत किया जाता है चूकि उक्त समस्त लैप्स राशि का स्थानान्तरण लेखा शीर्ष 8443-104 से 0075-800 में किया जाता है तो ऐसे लैप्स राशि के भुगतान (Refund) लेखा शीर्ष 2075-800 के आधीन होना निर्धारित है। परन्तु रूडकी कोषागार के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कोषागार द्वारा 03-09-2014 में ₹10,000/- की Civil Court लैप्स राशि का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्ष 2075-800 से नही करते हुए यह भुगतान (Refund) लेखा शीर्ष 8443-104 से किया जो कि नियम विरूद्व है। कोषागार से अपेक्षित है कि उक्त गलती के सुधारीकरण करने हतु समुचे प्रयास करे तथा भविष्य में Civil court लैप्स राशियों का त्मनिदक उक्त वर्णित लेखा शीर्ष में ही सुनिशचित कराये। ₹ 10,000/- के Correction of Accounts तत्काल रूप से कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित करें।

(परिशिष्ट-1) पैरा-1.2

उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क.स.	जिले का नाम	क.स.	कोषागार का नाम	क.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिग/ नानबैंकिग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1	1- बेतालघाट	बैंकिग
				2	2- कोशियाकुटोली	बैंकिग
				3	3- रामनगर	बैंकिग
				4	4- कालाढूँगी	बैंकिग
		2	हल्द्वानी	--	--	बैंकिग
2	अल्मोड़ा	3	अल्मोड़ा	5	1- द्वाराहाट	बैंकिग
				6	2- चौखुटिया	बैंकिग
				7	3- मोलेखाल	बैंकिग
				8	4- लमगड़ा	बैंकिग
				9	5- ताकुला	बैंकिग
				10	6- दन्या	बैंकिग
				11	7- देघाट	बैंकिग
				12	8- रानीखेत	बैंकिग
				13	9- भिकियासैंण	बैंकिग
3	पिथौरागढ़	4	पिथौरागढ़	14	1- धारचूला	बैंकिग
				15	2- गंगोलीहाट	बैंकिग
				16	3- थल	बैंकिग
				17	4- मुंस्यारी	बैंकिग
				18	5- अस्कोट	बैंकिग
				19	6- देवलथल	बैंकिग
				20	7- गंणई गंगोली	बैंकिग
				21	8- बेरीनाग	बैंकिग
				22	9- डीडीहाट	बैंकिग
4	चम्पावत	5	चम्पावत	23	1- लोहाघाट	बैंकिग
				24	2- पाटी	बैंकिग
				25	3- टनकपुर	बैंकिग
5	बागेश्वर	6	बागेश्वर	26	1- कपकोट	बैंकिग
				27	2- गरूड़	बैंकिग
				28	3- काण्डा	बैंकिग
6	उधमसिंहनगर	7	उधमसिंहनगर	29	1- जसपुर	बैंकिग
				30	2- काशीपुर	बैंकिग
				31	3- बाजपुर	बैंकिग
				32	4- गदरपुर	बैंकिग
				33	5- किच्छा	बैंकिग
				34	6- सितारगंज	बैंकिग
				35	7- खटीमा	बैंकिग
7	देहरादून	8	देहरादून	36	1- मसूरी	बैंकिग
				37	2- विकासनगर	बैंकिग

				38	3- ऋषिकेश	बैंकिग
				39	4- त्यूनी	बैंकिग
				40	5- चकराता	बैंकिग
8	रूद्रप्रयाग	9	रूद्रप्रयाग	41	1- अगस्तमुनी	बैंकिग
				42	2- ऊखीमठ	बैंकिग
				43	3- जखोली	बैंकिग
9	टिहरी	10	टिहर ी	44	1- घनसाली	बैंकिग
				45	2- प्रतापनगर	बैंकिग
		11	नरेन्द्रनगर	46	1- देवप्रयाग	बैंकिग
				47	2- थत्यूड	बैंकिग
10	हरिद्वार	12	हरिद्वार	48	1- हरिद्वार	बैंकिग
				49	2- लक्सर	बैंकिग
		13	रूड़की		-	बैंकिग .
11	चमोली	14	गोपेश्वर (चमोली)	50	1- जोशीमठ	बैंकिग
				51	2- चमोली	बैंकिग
				52	3- पोखरी	बैंकिग
				53	4- गैरसैंण	बैंकिग
				54	5- घाट	बैंकिग
				55	6- देवाल	बैंकिग
				56	7- नारायणबगड़	बैंकिग
				57	8- थराली	बैंकिग
				58	9- कर्णप्रयाग	बैंकिग
12	उत्तरकाशी	15	उत्तरकाशी	59	1- भटवाड़ी	बैंकिग
				60	2- डुण्डा	बैंकिग
				61	3- राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिग
				62	4- पुरोला	बैंकिंग
13	पौड़ी	16	पौड़ी	63	1- श्रीनगर	बैंकिग
				64	2- सतपुली	बैंकिग
				65	3- थैलीसैंण	बैंकिग
		17	कोटद्वार	66	4- धूमाकोट	बैंकिग
		18	लैन्सडाउन		-	बैंकिग
		19	साईबर ट्रेजरी, देहरादून			
		20	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली			

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.2

त्रुटिपूर्ण/ गलत वर्गीकरण का लेखा संशोधन

कोषागार	अंतरण प्रविष्टि सं0	दिनांक	धनराशी(रमें)
देहरादून	44807	17.06.2015	5,65,887,485
	44995	13.07.2015	38,83,11,935
	45119	16.09.2015	20,84,43,421
	45557	22.01.2016	9,90,47,700 Dr
साइबर कोषागार (ई–ट्रांजेक्शन)	45128	17.09.2015	2,23,21,57,338 Cr
	45129	17.09.2015	2,23,21,57,338 Dr
	45852	04.05.2016	1 Cr
नरेन्द्र नगर	45130	17.09.2015	71,359 Cr
साइबर कोषागार	45336	18.11.2015	1,72,19,298 Dr
	45410	16.12.2015	0.40 Cr
	45552	22.01.2016	2,46,107 Dr
	45553	22.01.2016	2,94,80,802 Dr
	45554	22.01.2016	5,56,71,925 Cr
ऋषिकेश	45337	18.11.2015	16,87,44,965 Dr
चौखुटिया	45339	18.11.2015	78,94,683 Dr
अल्मोड़ा	45338	18.11.2015	2,49,405 Dr
नैनीताल	45409	16.12.2015	2,00,00,000 Dr
भुगतान एवं लेखा कार्यालय	45555	22.01.2016	0.02 Dr
	45627	18.03.2016	0.02 Cr
कोटद्वार	44810	17.06.2015	4,000
	45910	19.05.2016	43,395
चम्पावत	45065	18.08.2015	28,805
	45354	01.12.2015	6,000
पौड़ी	45096	27.08.2015	3,500
	45097	02.09.2015	3,53,925
	45098	02.09.2015	994
टिहरी	45139	21.09.2015	50,007
चमोली	45294	04.11.2015	1,39,300
उत्तरकाशी	45297	06.11.2015	3,500
	45298	06.11.2015	3,500
	45299	06.11.2015	3,500
	45300	06.11.2015	3,500
	45301	06.11.2015	3,500
	45302	06.11.2015	3,500
	45303	06.11.2015	3,500
पिथौरागढ़	45353	30.11.2015	3,42,702
उधमसिंहनगर	45373	03.12.2015	1,000
रूड़की	45626	17.03.2016	3,40,000
	45737	08.04.2016	5,05,375

(परिशिष्ट-3) पैरा-2.3

वित्तीय वर्ष 2015-16 मे मिलान नही कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची

		प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
क्र. स.	**बजट नियंत्रण अधिकारियों के नाम**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्राप्ति**	**व्यय**
1	सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	--	पूर्ण	--	पूर्ण	--	पूर्ण	--	पूर्ण
2	सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन।	--	पूर्ण	--	नही	--	पूर्ण	--	पूर्ण
3	सचिव/वित्तअधिकारी, सचिवालय प्रशासन उत्तराखण्ड शासन।	--	पूर्ण	--	पूर्ण	--	आंशिक	--	आंशिक
4	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय नैनीताल।	--	नही	--	नही	--	पूर्ण	--	आंशिक
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4,सुभाष रोड देहरादून।	--	पूर्ण	--	नही	--	नही	--	पूर्ण
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाड़पुर देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नही	पूर्ण	पूर्ण	नही	नही
7	सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	नही	नही	आंशिक	नही	नही
8	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस उत्तराखण्ड दून हिल्स कालेनी, रिंग रोड, लाडपुर देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नही	नही	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	निदेशक प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन।	--	नही	--	नही	--	नही	--	नही
11	आयुक्त, कर 405, इन्दिरा नगर देहरादून।	नही	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नही	आंशिक	आशिंक	आंशिक
12	निदेशक, राष्ट्रीय बचत वाणिज्य भवन रिंग रोड नेहरू ग्राम, देहरादून।	नही	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आशिंक	पूर्ण
13	रजिस्टार, चिट फण्ड उत्तराखण्ड 3/23 शास्त्री नगर रोड देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	नही	नही	आंशिक	आशिंक	आंशिक *
14	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।	--	नही		नही		नही	--	नही
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन।	--	नही		नही		नही	--	नही
16	निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।	--	पूर्ण		पूर्ण		पूर्ण	--	पूर्ण
17	निदेशक, विभागीय लेखा	नही	पूण	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	आंशिक

	उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।								
18	सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन विभाग उत्तराखण्ड।	--	पूर्ण	--	पूर्ण	--	आंशिक		आंशिक
19	आयुक्त, आबकारी सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
20	सचिव, लोक सेवा आयोग गुरूकुल कांगडी हरिद्वार।	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही
21	महानिदेशक, पुलिस 12 सुभाष रोड़ देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नही	नही	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण
22	महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नही	पूर्ण
23	निदेशक, उच्च शिक्षा नबावी रोड हल्द्वानी ।	आंशिक	आंशिक	नही	आंशिक	नही	आंशिक	नही	आंशिक
24	निदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड पी–1 नागनाथ रोड घंघोडा कैन्ट देहरादून।	आंशिक	आंशिक	नही	नही	नही	नही	नही	आंशिक
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड नूनर खेडा देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नही	आंशिक	नही	नही	नही	आंशिक
26	निदेशक, तकनीकी शिक्षा मुख्यालय श्रीनगर पौडी गढवाल	आंशिक	पूर्ण	नही	नही	नही	नही	नही	आंशिक #
27	निदेशक, खेलकूद एवं युवा कल्याण रायपुर देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नही	आंशिक	नही	आंशिक	नही	आंशिक
28	निदेशक, संस्कृति निदेशायल उत्तराखण्ड एम.डी.डी.ए. कालोनी डालनावाला देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशि ाक	आंशिक	नही	पूर्ण
29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेंवायें उत्तराखण्ड़ देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	आंशिक	नही	आंशिक	नही	पूर्ण
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड़ देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	नही	नही	आंशिक
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें उत्तराखण्ड ग्राम गुलराडा पो0 डाण्डा लखौड़ा सहस्त्रधारा रोड़ निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण
32	प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली रा0 आर्युविज्ञान संस्थान श्री नगर पौडी गढ़वाल।	नही	नही	नही	नही	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण
33	सचिव, जलापूर्ति उत्तराखण्ड	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	आंशिक	नही	पूर्ण

	देहरादून।								
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही
35	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उदय विहार ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड देहरादून।	--	पूर्ण	--	नही	--	नही	--	पूर्ण
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क 12 ई0सी0 रोड देहरादून ।	पूर्ण	पूर्ण	नही	नही	नही	नही	पूर्ण	पूर्ण
37	निदेशक, समाज कल्याण कालाढूगी रोड मुखानी चौराहा, हल्द्वानी नैनीताल।	नही	पूर्ण	नही	--	नही	आंशिक	नही	आंशिक
38	उप निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास उत्तराखण्ड 15 सी कालीदास मार्ग हाथी बड़कला देहरादून।	--	पूर्ण	--	पूर्ण	--	पूर्ण	--	पूर्ण
39	आयुक्त, श्रम उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नही	आंशिक	नही	पूर्ण	नही	नही	नही	आंशिक
40	निदेशक, कृषि कैंप कार्यालय नंदा की चौकी प्रेम नगर देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशि ाक	पूर्ण	नही	पूर्ण
41	वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर।	--	पूर्ण	--	नही	--	नही	--	पूर्ण
42	निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त काशीपुर ऊधम सिंह नगर।	आंशिक	नही	नही	नही	नही	नही	नही	आशिंक
43	निबन्धक, सहकारी समितियां 125, ओल्ड नेहरू कालोनी देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशि ाक	पूर्ण	नही	पूर्ण
44	आयुक्त, ग्राम्य विकास पौड़ी।	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण	नही	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड यमुना कालोनी देहरादून।	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही
46	सचिव, ऊर्जा उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून।	नही	नही	नही	पूर्ण	नही	नही	नही	आंशिक
47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग यमुना कालोनी देहरादून।	नही	आंशिक	नही	आंशिक	नही	आंशिक	नही	पूर्ण
48	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इण्डस्ट्रियल एरिया रामनगर रूड़की।	आंशिक	पूर्ण	नही	नही	पूर्ण	पूर्ण	नही	पूर्ण
49	निदेशक, उघोग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून ।	आंशिक	पूर्ण	नही	पूर्ण	आंशि ाक	पूर्ण	आशिंक	आशिंक

50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नही	नही	नही	नही	नही	नही
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीड्रोम च्व्व कुल्हान देहरादून 248013	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही	पूर्ण
52	आयुक्त, परिवहन कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नही	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
53	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग 8,ए बंगाली लाइब्रेरी रोड देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	आंशिक	नही	आंशिक	नही	पूर्ण
54	सचिव, खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नही	पूर्ण	आंशि ाक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
55	निदेशक, पर्यटन निंबुवाला गढ़ीकैंट ओ.एन.जी.सी. के पास हैलीपैड, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
56	प्रमुख, वन सरंक्षक उत्तराखण्ड 87 राजपुर रोड़ देहरादून।	नही	पूर्ण	नही	आंशिक	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण
57	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड पशुधन भवन पो0 मोथरोवाला देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशि ाक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
58	आयुक्त, दुग्ध डेयरी डेवलेपमेन्ट विभाग उपनिदेशक डेयरी विकास विभाग संपर्क कार्यालय कैपस आंचल डेरी रायपुर देहरादून।	नही	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नही	पूर्ण
59	निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड बाड़ासी ग्रान्ट ग्राम घन्याडी रायपुर देहरादून ।	नही	पूर्ण	नही	नही	नही	नही	नही	नही
60	निदेशक, उद्यान निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा।	आंशिक	आंशिक	नही	आंशिक	नही	पूर्ण	नही	पूर्ण
61	निदेशक, रेशम निदेशालय प्रेमनगर देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नही	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
62	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	--	नही	--	नही	--	नही		नही

*दिसम्बर का डाटा नही दिया गया।

केवल प्राविधिक शिक्षा के द्वारा मिलान कराया गया।

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.5

कोषागार वार आपत्ति पुस्तिका उचन्त में पड़ी व्यय पक्ष की धनराशि का विवरण

क्रम सं0	कोषागार का नाम	धनराशि (₹ में)
1	अल्मोड़ा	50,93,135
2	बागेश्वर	2,27,712
3	देहरादून	32,64,213
4	हरिद्वार	8,35,249
5	लैन्सडाउन	39,09,889
6	नैनीताल	65,256
7	पौड़ी	5,055
8	रूड़की	43,032
9	रूद्रप्रयाग	29,887
10	साईबर ट्रेजरी, देहरादून	7,50,000
11	उधमसिंहनगर	2,84,565
12	उत्तरकाशी	4,59,767
	योग	**1,49,67,760**

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.6
मुख्य लेखाशीर्ष 7610 ऋण एवं अग्रिम के अपूर्ण वसूली अनुसूचियों (Recovery Schedules) के सम्बन्ध में

क्रम सं0	कोषागार	धनराशि (₹में)	प्रकरणों की संख्या
1	देहरादून	14,39,247	6
2	अल्मोड़ा	6,47,084	4
3	नैनीताल	20,16,993	10
4	उधमसिंहनगर	6,25,426	7
5	हरिद्वार	4,28,886	3
6	रूद्रप्रयाग	1,98,286	6
7	लैन्सडाउन	13,419	2
8	टिहरी	3,32,258	4
9	नरेन्द्रनगर	44,860	2
10	पौड़ी	5,85,792	3
11	बागेश्वर	1,80,890	3

(परिशिष्ट-6) पैरा-2.7

वर्ष 2015-16 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र. सं.	कोषागार का नाम	सूची	लेखा माह	प्राप्ति का दिनांक	विलम्ब (दिन)
1	नैनीताल	1	दिसम्बर	21.12.2015	04
		2	दिसम्बर	18.02.2016	41*
		1	जनवरी	08.03.2016	52*
		2	जनवरी	08.03.2016	31*
		1	फरवरी	30.03.2016	40*
		1	मार्च	19.04.2016	33*
		2	मार्च	29.04.2016	49*
2	हल्द्वानी	2	दिसम्बर	26.02.2016	49*
		1	जनवरी	26.02.2016	39*
		2	जनवरी	26.02.2016	20*
		1	फरवरी	18.03.2016	29*
		2	फरवरी	18.03.2016	11*
		1	मार्च	18.03.2016	32*
		2	मार्च	04.05.2016	17*
3	अल्मोड़ा	2	दिसम्बर	29.02.2016	52*
		1	जनवरी	08.03.2016	52*
		2	जनवरी	08.03.2016	31*
		1	फरवरी	17.03.2016	28*
		2	फरवरी	17.03.2016	10*
		1	मार्च	21.03.2016	04*
		2	मार्च	22.04.2016	33*
4	पिथौरागढ़	1	अप्रैल	20.04.2015	03
		2	अप्रैल	11.05.2015	03
		2	जून	09.07.2015	02
		2	अक्टूबर	09.11.2015	03
		1	दिसम्बर	21.12.2015	04
		2	दिसम्बर	08.03.2016	59*
		1	जनवरी	08.03.2016	52*
		2	जनवरी	15.03.2016	38*
		1	फरवरी	15.03.2016	27*
		2	फरवरी	22.03.2016	15*
		1	मार्च	22.03.2016	36*
		2	मार्च	22.04.2016	31*
5	चम्पावत	2	दिसम्बर	26.02.2016	49*
		1	जनवरी	26.02.2016	39*
		2	जनवरी	04.03.2016	27*
		1	फरवरी	04.03.2016	14*
		2	मार्च	22.04.2016	40*
6	बागेश्वर	2	दिसम्बर	29.02.2016	52*

		1	जनवरी	01.03.2016	45*
		2	जनवरी	03.03.2016	26*
		1	फरवरी	03.03.2016	13*
		2	फरवरी	14.03.2016	07*
		2	मार्च	22.04.2016	40*
7	उधमसिंहनगर	2	दिसम्बर	08.03.2016	59*
		1	जनवरी	08.03.2016	52*
		2	जनवरी	14.03.2016	37*
		1	फरवरी	18.03.2016	29*
		1	मार्च	18.04.2016	32*
		2	मार्च	09.05.2016	21*
8	देहरादून	2	दिसम्बर	26.02.2016	49*
		1	जनवरी	04.03.2016	48*
		2	जनवरी	15.03.2016	37*
		1	फरवरी	18.03.2016	29*
		2	मार्च	04.05.2016	17*
9	रूद्रप्रयाग	2	दिसम्बर	18.02.2016	41*
		1	जनवरी	25.02.2016	38*
		2	जनवरी	25.02.2016	19*
		1	फरवरी	25.02.2016	28*
		2	फरवरी	10.03.2016	03*
		1	मार्च	17.03.2016	31*
		2	मार्च	21.04.2016	32*
10	टिहरी	1	दिसम्बर	21.12.2015	04
		2	दिसम्बर	26.02.2016	49*
		1	जनवरी	09.03.2016	53*
		2	जनवरी	18.03.2016	41*
		1	फरवरी	29.03.2016	48*
		1	मार्च	04.04.2016	18*
		2	मार्च	02.05.2016	28*
11	नरेन्द्रनगर	2	दिसम्बर	01.03.2016	53*
		1	जनवरी	01.03.2016	45*
		2	जनवरी	15.03.2016	38*
		1	फरवरी	15.03.2016	27*
		2	फरवरी	15.03.2016	8*
		1	मार्च	18.03.2016	34*
		2	मार्च	29.04.2016	43*
12	हरिद्वार	1	जनवरी	25.02.2016	38*
		2	जनवरी	09.03.2016	32*
		1	फरवरी	09.03.2016	18*
		2	फरवरी	28.03.2016	21*
		1	मार्च	28.03.2016	42*
		2	मार्च	22.04.2016	25*
13	रूड़की	1	जनवरी	08.03.2016	52*
		2	जनवरी	08.03.2016	31*

		1	फरवरी	08.03.2016	17*
		2	फरवरी	15.03.2016	8*
		1	मार्च	21.03.2016	35*
		2	मार्च	27.04.2016	37*
14	गोपेश्वर ;चमोलीद्ध	2	दिसम्बर	29.02.2016	52*
		1	जनवरी	22.03.2016	66*
		2	जनवरी	22.03.2016	45*
		1	मार्च	28.03.2016	42*
		2	मार्च	25.04.2016	29*
15	उत्तरकाशी	2	दिसम्बर	26.02.2016	49*
		1	जनवरी	04.03.2016	48*
		2	जनवरी	11.03.2016	34*
		1	फरवरी	22.03.2016	33*
		2	फरवरी	22.03.2016	15*
		1	मार्च	28.03.2016	11*
		2	मार्च	11.04.2016	15*
16	पौड़ी	2	दिसम्बर	17.02.2016	40*
		1	फरवरी	04.03.2016	14*
		2	फरवरी	17.03.2016	10*
		1	मार्च	21.03.2016	35*
		2	मार्च	25.04.2016	35*
17	कोटद्वार	2	दिसम्बर	19.02.2016	43*
		1	जनवरी	19.02.2016	32*
		2	जनवरी	19.02.2016	13*
		2	फरवरी	11.03.2016	04*
		1	मार्च	15.03.2016	29*
		2	मार्च	26.04.2016	42*
18	लैन्सडाउन	2	दिसम्बर	19.02.2016	42*
		1	जनवरी	19.02.2016	32*
		2	जनवरी	19.02.2016	13*
		1	मार्च	15.03.2016	29*
		2	मार्च	18.04.2016	34*
19	साईबर ट्रेजरी, देहरादून	2	दिसम्बर	24.02.2016	47*
		2	जनवरी	29.02.2016	23*
		1	मार्च	02.05.2016	16*
20	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	2	अक्टूबर	09.11.2015	03
		1	नवम्बर	20.11.2015	02
		1	मार्च	15.03.2016	29*
		2	मार्च	04.05.2016	20*

* Due to State wide strike of Treasury employees wef 23.12.2015 to 05.02.2016

(परिशिष्ट-07) पैरा- 2.9
पी0एल0ए0 खाते के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष राशियों (Unspent Balances) का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही करना

क्रम सं0	पी0एल0ए0 धारक	कोषागार/ उपकोषागार	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष राशि
1	निदेशक, निदेशालय, आई0सी0डी0एस0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून	साइबर कोषागार	8443 106	2015-16	3,04,73,855
2	जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर	बागेश्वर			324
3	जिला अधिकारी, हरिद्वार	हरिद्वार			2,00,00,000
4	निदेशक, मत्स्य विभाग, देहरादून	देहरादून			32,98,724
5	महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून	देहरादून			2,20,12,737
6	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	देहरादून			88,64,59,000
7	मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी	उत्तरकाशी			12,98,03,633
8	आर्चाय प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हरिद्वार	हरिद्वार			2,19,492
9	पुलिस महानिरीक्षक, देहरादून	देहरादून			3,53,22,665
10	निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून	देहरादून			58,54,26,953
11	कृषि निदेशक देहरादून	देहरादून			1,88,98,579
12	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	उत्तरकाशी			2,60,96,480
13	जिला अधिकारी देहरादून	देहरादून			1,39,87,57,606
				योग	**3,15,67,70,048**

(परिशिष्ट-08) पैरा-3.1

वर्ष 2015-16 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार रूद्रप्रयाग	06.04.2015 से 15.04.2015
2	उपकोषागार ऊखीमठ	20.04.2015 से 22.04.2015
3	उपकोषागार अगस्तमुनि	16.04.2015 से 18.04.2015
4	उपकोषागार देवप्रयाग	23.04.2015 से 25.04.2015
5	उपकोषागार श्रीनगर	27.04.2015 से 29.04.2015
6	कोषागार उत्तरकाशी	05.05.2015 से 13.05.2015
7	कोषागार पौड़ी	15.05.2015 से 26.05.2015
8	उपकोषागार सतपुली	27.05.2015 से 29.05.2015
9	कोषागार अल्मोड़ा	08.06.2015 से 16.06.2015
10	उपकोषागार दन्या	17.06.2015 से 19.06.2015
11	उपकोषागार रानीखेत	20.06.2015 से 23.06.2015
12	उपकोषागार द्वाराहाट	24.06.2015 से 26.06.2015
13	उपकोषागार देघाट	27.06.2015 से 30.06.2015
14	कोषागार पिथौरागढ़	06.07.2015 से 13.07.2015
15	उपकोषागार देवलथल	14.07.2015 से 16.07.2015
16	उपकोषागार गणईगंगोली	17.07.2015 से 21.07.2015
17	उपकोषागार गंगोलीहाट	23.07.2015 से 25.07.2015
18	कोषागार बागेश्वर	27.07.2015 से 03.08.2015
19	कोषागार हरिद्वार	03.08.2015 से 11.08.2015
20	उपकोषागार हरिद्वार	12.08.2015 से 14.08.2015
21	उपकोषागार लक्सर	17.08.2015 से 19.08.2015
22	कोषागार देहरादून	20.08.2015 से 31.08.2015
23	उपकोषागार बेतालघाट	04.09.2015 से 08.09.2015
24	उपकोषागार कोशियाकुटौली	09.09.2015 से 11.09.2015
25	कोषागार नैनीताल	14.09.2015 से 21.09.2015
26	कोषागार हल्द्वानी	22.09.2015 से 30.09.2015
27	उपकोषागार कर्णप्रयाग	05.10.2015 से 07.10.2015
28	उपकोषागार पोखरी	08.10.2015 से 12.10.2015
29	कोषागार चमोली	13.10.2015 से 20.10.2015
30	उपकोषागार चमोली	21.10.2015 से 24.10.2015
31	उपकोषागार घाट	26.10.2015 से 28.10.2015
32	उपकोषागार देवाल	30.10.2015 से 02.11.2015
33	उपकोषागार गैरसेण	04.11.2015 से 06.11.2015
34	कोषागार चम्पावत	17.11.2015 से 24.11.2015
35	उपकोषागार लोहाघाट	26.11.2015 से 28.11.2015
36	उपकोषागार पाटी	30.11.2015 से 02.12.2015
37	उपकोषागार टनकपुर	04.12.2015 से 07.12.2015
38	उपकोषागार जसपुर	07.12.2015 से 09.12.2015
39	उपकोषागार काशीपुर	10.12.2015 से 14.12.2015

40	उपकोषागार गदरपुर	15.12.2015 से 17.12.2015
41	उपकोषागार किच्छा	18.12.2015 से 21.12.2015
42	कोषागार नई टिहरी	15.02.2016 से 22.02.2016
43	कोषागार नरेन्द्रनगर	23.02.2016 से 01.03.2016
44	कोषागार रूड़की	03.03.2016 से 11.03.2016
45	कोषागार कोटद्वार	22.02.2016 से 29.02.2016
46	कोषागार लैन्सडाउन	01.03.2016 से 08.03.2016
47	उपकोषागार धूमाकोट	16.03.2016 से 18.03.2016
48	उपकोषागार थलीसैण	10.03.2016 से 14.03.2016
49	कोषागार, वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	02.03.2016 से 10.03.2016
50	उपकोषागार मसूरी	12.03.2016 से 15.03.2016
51	उपकोषागार त्यूनी	17.03.2016 से 19.03.2016

(परिशिष्ट-09)पैरा.3.2

वर्ष 2015-16 में On-spot Discussion (OSD) द्वारा निस्तारित लम्बित प्रस्तरों का विवरण

कोषागार/ उपकोषागार	क्र सं0	निरीक्षण आख्या संख्या	निस्तारित प्रस्तर			टिप्पणी
			भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	नमूना/ सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणी	
पौड़ी	1	TM/TI/ 2011-12/20	2,3	13,15,18	-/-	*
	2	TM/TI/AIR/2013-14/44	-	1,4,15,16,17,19,21, 22,24	-/-	बन्द हो गयी
	3	TM/TI/AIR/2014-15/31	-	1,2,3,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,16	-/1	बन्द हो गयी
श्रीनगर	4	TM/TI/AIR/2013-14/45	-	3,12,14,16	-/-	*
	5	TM/TI/AIR/2015-16/05	-	1,2	-/-	बन्द हो गयी
सतपुली	6	TM/TI/AIR/2013-14/07	-	2	-/-	बन्द हो गयी
थलीसैण	7	TM/TI/2013-14/09	-	3,6	1,2,3/-	बन्द हो गयी
कोटद्वार	8	TM/TI/2013-14/27	-	10	-/-	बन्द हो गयी
	9	TM/TI/AIR/2014-15/19	-	1,2(अ)(ब),3,5,6, 7(अ) (ब),8,9,10	1,2,3,4/-	*
लैसडाउन	10	TM/TI/AIR/2013-14/28	2	9,16	-/-	बन्द हो गयी
	11	TM/TI/AIR/2014-15/24	-	8(ब)(स)	-/-	बन्द हो गयी
नरेन्द्रनगर	12	G-2006-07	-	.	-/-	*
	13	TM/TI/AIR/ 2011-12/17	-	4	-/3	बन्द हो गयी
	14	TM/TI/AIR/ 2013-14/47	1,2	1(अ)(ब),2,3,45,6,7	-/-	*
	15	TM/TI/AIR/ 2014-15/39	-	-	-/-	*
देवप्रयाग	16	TM/TI/ 2011-12/27	-	1	-/-	बन्द हो गयी
	17	TM/TI/AIR/ 2013-14/46	-	7,10	-/-	बन्द हो गयी
	18	TM/TI/AIR/ 2014-15/04	-	-	-/-	*
उधमसिंहनगर	19	TM/TI/2012-13/39	1	1,4,6,8,9,10,11,12, 13	-/-	बन्द हो गयी
	20	TM/TI/AIR/2013-14/50	1	1,2,3,4,5,6,7,8, 9(अ)(ब),10,11,12,1	-/1,2,3,4	बन्द हो गयी

				3,14,15(अ)(ब)(स), 16(अ) (ब),17,18		
	21	TM/TI/AIR/2014-15/52	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16	1,2/-	बन्द हो गयी
जसपुर	22	TM/TI/AIR/2013-14/48	-	1,2,3,4,5	-/1,2,3	बन्द हो गयी
काशीपुर	23	U-10	-	-	-/-	*
	24	TM/TI/AIR/2013-14/34	-	1,2,3,5,6,7,8	1,2/1,2	*
बाजपुर	25	TM/TI/2014-15/51	-	1,2,3,4,5,6	1/-	बन्द हो गयी
गदरपुर	26	TM/TI/2013-14/49	-	1,2,3,4,5,6,7	-/1,2	बन्द हो गयी
किच्छा	27	TM/TI/AIR/2011-12/09	-	2	-/-	बन्द हो गयी
	28	TM/TI/AIR/2013-14/51	-	1,2,3,4,5,6,7	-/1,2,3	बन्द हो गयी
सिंतारगंज	29	TM/TI/AIR/2012-13/41	-	6,7,9,10	-/-	बन्द हो गयी
	30	TM/TI/AIR/2014-15/50	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1/-	बन्द हो गयी
खटीमा	31	TM/TI/AIR/2014-15/49	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11	-/-	बन्द हो गयी
बागेश्वर	32	TM/TI/AIR/ 2010-11/22	-	02		बन्द हो गयी
	33	TM/TI/AIR/ 2013-14/36	1	-	-/-	बन्द हो गयी
	34	TM/TI/AIR/ 2014-15/40	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,15,16,	1/-	*
	35	TM/TI/AIR/ 2015-16/14	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15(अ)(ब),16,17(अ)(ब)(स),18(अ)(ब), 19	-/1	बन्द हो गयी
कपकोट	36	TM/TI/ AIR 2014-15/42	स्थल पर चर्चा उपस्थित नही हो पाये			
कान्डा	37	TM/TI/AIR/ 2014-15/41	-	1,2,3,4,5,6	-/-	बन्द हो गयी
अल्मोड़ा	38	TM/TI/AIR/ 2012-13/36	-	6,11	-/-	बन्द हो गयी
	39	TM/TI/AIR/ 2014-15/21	1	-	-/-	बन्द हो गयी
	40	TM/TI/AIR/ 2015-16/13	-	1(अ)(ब),2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11	-/-	*
द्वाराहाट	41	TM/TI/AIR/ 2015-16/ 09	-	1,2,3(अ)(ब)(स)(द),4, 5,6(अ)(ब)(स)	1,2/-	बन्द हो गयी
दन्या	42	TM/TI/AIR/ 2011-12/04	-	8(क)	-/-	बन्द हो गयी
	43	TM/TI/AIR/ 2015-16/ 12	-	1,2,3,4,5,6	1/-	बन्द हो

						गयी
चौखुटिया	44	TM/TI/AIR/ 2014-15/10	-	1	-/-	बन्द हो गयी
देघाट	45	TM/TI/AIR/ 2015-16/11	-	1,2,3(अ)(ब)(स)(द),5, 6,7(अ)(ब)(स),8	-/-	*
लमगड़ा	46	TM/TI/AIR/ 2014-15/22	-	5	-/-	बन्द हो गयी
ताकुला	47	TM/TI/AIR/ 2012-13/37	-	3	-/-	बन्द हो गयी
	48	TM/TI/AIR/ 2014-15/23	-	3	-/-	बन्द हो गयी
रानीखेत	49	TM/TI/AIR/ 2015-16/10	-	1,2,3,4(अ)(ब),5,6(अ)(ब)(स),7	-/-	बन्द हो गयी
भिकियासैंण	50	TM/TI/AIR/ 2014-15/11	-	1	-/-	बन्द हो गयी
नैनीताल	51	TM/TI/AIR/ 2012-13/15	-	-	3/-	बन्द हो गयी
	52	TM/TI/AIR/ 2013-14/40	-	2,7	1,2 (i)(ii)(iii))/-	बन्द हो गयी
	53	TM/TI/AIR/ 2014-15/46	-	2	1,2,3,4/-	बन्द हो गयी
रामनगर	54	TM/TI/AIR/ 2014-15/48	-	1,2,3,4,5	-/-	बन्द हो गयी
कालाढूँगी	55	TM/TI/AIR/2014-15/47	-	1,2,3,4,5	-/-	बन्द हो गयी
बेतालघाट	56	TM/TI/AIR/2013-14/42	-	1,2,3,6	-/-	-
कोशियाकुटोली	57	TM/TI/AIR/2013-14/41	-	1,2,3(अ)(ब)(स)(द)(य),4,5,6,7,8	-/-	बन्द हो गयी

*** लम्बित प्रस्तरों के कारण फाईल बन्द नहीं है।**

(परिशिष्ट-10) पैरा- 3.3.1
कोषागारो द्वारा अनधिकृत लेखाशीर्षक का संचालन

क्रम सं0	माह	लेखाशीर्षक	कोषागार संख्या	कोषागार/उपकोषागार	धनराशि (₹में)
1	अप्रैल	1601048007902	41	उत्तरकाशी	3,275
		1601048007902	42	पौड़ी	2,365
		1601048007902	90	रूद्रप्रयाग	2,092
2	मई	1601048007902	12	साइबर कोषागार	71,41,00,000
		1601048007902	36	नैनीताल	775
		1601048007902	38	पिथौरागढ	1,550
		1601048007902	41	उत्तरकाशी	5,405
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	15,101
3	जून	1601048007902	01	देहरादून	5,458
		1601048007902	41	उत्तरकाशी	4,400
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	5,399
		1601048007902	88	चम्पावत	124
4	जुलाई	1601048007902	42	पौड़ी	625
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	755
5	अगस्त	1601048007902	41	उत्तरकाशी	1,093
6	सितम्बर	1601048007902	01	देहरादून	9,400
7	अक्टूबर	1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	2,520
8	नवम्बर	1601048007902	01	देहरादून	7,050
		1601048007902	41	उत्तरकाशी	573
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	4,263
9	दिसम्बर	1601048007902	41	उत्तरकाशी	350
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	494
		1601048007902	88	चम्पावत	330
		1601048007902	90	रूद्रप्रयाग	1,877
10	जनवरी	1601048007902	41	उत्तरकाशी	1,565
		1601048007902	42	पौड़ी	900
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	17,894
11	फरवरी	1601048007902	41	उत्तरकाशी	542
		1601048007902	42	पौड़ी	4,115
		1601048007902	75	ऊधम सिंह नगर	2,271
		1601048007902	88	चम्पावत	3,302
12	मार्च	1601048007902	01	देहरादून	1,083
		1601048007902	41	उत्तरकाशी	2,631
		1601048007902	88	चम्पावत	5,263
				योग	**71,42,14,840**

(परिशिष्ट-11) पैरा- 3.3.3
नई पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत शासकीय अंशदान का गलत लेखांकन

कम सं0	माह	अभिदाता संख्या	अभिदाता का अंशदान	सरकारी अंशदान
1	अप्रैल	94593	18,37,02,573	18,37,02,573
2	मई	42370	11,53,52,023	11,53,52,023
3	जून	54937	17,82,06,124	17,82,06,124
4	जुलाई	52229	15,43,27,509	15,43,27,509
5	अगस्त	50562	15,00,37,520	15,00,37,520
6	सितम्बर	52306	15,26,06,256	15,26,06,256
7	अक्टूबर	54014	15,97,90,533	15,97,90,533
8	नवम्बर	46525	14,91,14,587	14,91,14,587
9	दिसम्बर	46171	14,03,02,101	14,03,02,101
10	जनवरी	32928	10,27,08,937	10,27,08,937
11	फरवरी	52467	16,54,43,483	16,54,43,483
12	मार्च	41193	12,79,14,727	12,79,14,727
			योग	**1,77,95,06,373**

(परिशिष्ट-12) पैरा- 3.3.6

e-भुगतान प्रणाली Failed Transactions के कारणवश लाभार्थियों को लाभ से वांछित रखने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	ट्रांजेक्शन दिनांक	धनराशि (रु में)	अवधि
1	नरेन्द्रनगर	07.11.2015	8,49,600	90 दिन से अधिक
		07.11.2015	10,39,200	90 दिन से अधिक
		07.11.2015	26,400	90 दिन से अधिक
		07.11.2015	16,800	90 दिन से अधिक
		20.11.2015	2,400	90 दिन से अधिक
		11.12.2015	18,77,184	90 दिन से अधिक
2	चमोली	16.01.2015 17.01.2015 19.01.2015	1,03,200	10 दिन
		07.10.2014	3,785	24 दिन
		27.10.2014	1,11,309	04 दिन
		20.10.2014	27,801	11 दिन
		16.01.2015	1,47,037	13 दिन
		16.01.2015	23,300	13 दिन
		15.10.2014	2,64,873	16 दिन
		21.10.2014	7,50,000	10 दिन
		21.10.2014	1,25,000	10 दिन
		21.10.2014	1,00,000	10 दिन
			16,56,305	4 दिन से 24 दिन
3	गैरसैंण	03.02.2015	17,834	28 दिन
		03.03.2015	29,845	56 दिन
		योग	**71,71,873**	

(परिशिष्ट-13) पैरा-3.3.9
कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करने के सम्बन्ध में

क0 सं0	विभाग का नाम	पत्रांक	दिनांक	कोषागार में प्राप्ति का दिनांक	बैंक को भेजने का दिनांक	धनराशि (रु)	विलम्ब दिन
1	कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता परियोजना मन्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून	1188	21.4.2014	22.4.2014	29.4.2014	1,08,88,000	07
2	सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून	2250	30.04.2014	02.05.2014	15.05.2014	80,000	13
3	नलकूप खण्ड यान्त्रिक देहरादून	1839	19.04.2014	23.04.2014	15.05.2014	1,85,000	22
4	लखवाड़ ब्यासी निर्माण मण्डल देहरादून	1618	04.06.2014	06.06.2014	18.06.2014	21,21,000	12
5	लखवाड़ ब्यासी निर्माण मण्डल देहरादून	1617	04.06.2014	06.06.2014	18.06.2014	11,66,000	12
6	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	1368	09.06.2014	11.06.2014	23.6.2014	10,74,092	12
7	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	1366	09.06.2014	11.06.2014	23.06.2014	23,56,063	12
8	वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून	1221	22.05.2014	26.05.2014	12.06.2014	19,99,296	17
9	वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून	868	05.04.2014	08.04.2014	17.04.2014	6,90,000	09
10	वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून	1220	22.05.2014	26.05.2014	12.06.2014	36,75,177	17
11	वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून	1222	22.05.2014	26.05.2014	12.06.2014	9,11,444	17
12	वन संरक्षक, राजा जी राष्ट्रीय उधान, देहरादून	2373	20.05.2014	20.05.2014	19.06.2014	5,30,000	30
13	वन संरक्षक, राजा	2372	20.05.2014	20.05.2014	19.06.2014	3,03,000	30

	जी राष्ट्रीय उधान, देहरादून						
14	लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी	35	21.04.2014	23.04.2014	15.05.2014	30,19,200	22
15		543	29.09.2014	30.09.2014	16.01.2015	1,52,05,808	108
16	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रभाग देहारादून	673	20.11.2014	23.11.2014	16.01.2015	5,20,79,000	54
17	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रभाग देहारादून	819	31.01.2015	31.01.2015	26.02.2015	3,37,80,880	26
18	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, घनसाली	-	-	-	02.05.2014	12,68,614	-
19		-	-	-	03.05.2014	13,98,614	-
20		-	-	-	21.05.2014	14,61,687	-
21		-	-	-	22.05.2014	21,14,649	-
22		-	-	-	23.05.2014	45,98,231	-
23		-	-	-	27.05.2014	52,74,057	-
24		-	-	-	31.05.2014	57,62,061	-
25	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई लोक निर्माण विभाग, घनसाली (1563)	-	-	-	03.05.2014	6,33,020	-
26		-	-	-	05.05.2014	8,77,340	-
27		-	-	-	21.05.2014	10,89,539	-
28		-	-	-	24.05.2014	21,41,714	-
29		-	-	-	27.05.2014	29,03,971	-
30		-	-	-	29.05.2014	27,33,693	-
31		-	-	-	30.05.2014	29,69,695	-
32	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ (1454)	-	-	-	06.05.2014	48,86,914	-
33		-	-	-	24.05.2014	60,23,138	-
34		-	-	-	29.05.2014	64,01,423	-
35	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण खण्ड, घनसाली	-	-	-	16.03.2015	2,88,18,724	-
36		-	-	-	23.03.2015	3,22,38,098	-
37		-	-	-	25.03.2015	5,30,74,535	-
38		-	-	-	27.03.2015	5,34,40,343	-
39	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी	-	-	-	11.03.2015	27,14,233	-
40		-	-	-	20.03.2015	26,14,233	-
41		-	-	-	24.03.2015	27,00,658	-
42		-	-	-	25.03.2015	39,12,985	-
43	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली (1563)	-	-	-	09.03.2015	1,11,73,156	-
44		-	-	-	24.03.2015	1,27,56,599	-
45	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 (1097)	-	-	-	11.03.2015	93,56,467	-
46		-	-	-	16.03.2015	95,74,224	-
47		-	-	-	17.03.2015	38,19,031	-
48		-	-	-	18.03.2015	40,69,711	-
49		-	-	-	20.03.2015	49,39,765	-
50		-	-	-	23.03.2015	52,29,604	-

51		-	-	-	25.03.2015	73,04,985	-
52		-	-	-	26.03.2015	89,52,406	-
53		-	-	-	31.03.2015	1,43,14,279	-
54	प्रभारी चिकित्साधिकारी पंचस्थानी, रूद्रप्रयाग	-	17.06.2014	-	-	1,38,000	09 माह
55	वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून पत्रांकः 1726/3-2 दि0 27.02.15	-	27.02.2015	-	07.03.2015	3,00,000	-
56	वन संरक्षक यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून पत्रांक 1725/3-2	-	27.02.2015	-	07.03.2015	4,50,000	-
57	वन संरक्षक यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून पत्रांक 1794/3-2	-	22.01.2016	-	07.02.2016	14,400	-
58	अधीक्षक अभियन्ता 12 वां वृत्त, लो0 नि0 वि0 पौडी0	453/1 लेखा 12/14	12.02.2015	-	19.03.2015	50 ,00,000	-
59		3608/1 लेखा 12/08	21.09.2014	-	16.10.2014	50,00,000	-
60	लो0नि0वि0गैरसैण	-	-	-	-	44,75,024	-
61	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	05.07.2013	-	22.07.2013	5,00,000	17
62	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	12.07.2013	-	22.07.2013	5,00,000	10
63	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	12.07.2013	-	22.07.2013	3,00,000	10
64	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	24.07.2013	-	19.08.2013	1,00,000	25
65	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	05.07.2013	-	22.07.2013	5,00,000	17
66	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	12.07.2013	-	22.07.2013	5,00,000	10
67	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	12.07.2013	-	22.07.2013	3,00,000	10
68	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	27.07.2013	-	19.08.2013	1,00,000	26
69	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	12.03.2013	-	27.03.2014	4,94,000	15
70	मुख्य अभियन्ता P.M.G.S.Y. देहरादून	-	29.08.2014	-	24.09.2014	2,00,000	25

71	अधीक्षण अभियन्ता P.M.G.S.Y लोक निर्माण विभाग पौड़ी	-	20.05.2013	-	19.07.2013	31,15,000	59
72	अधीक्षण अभियन्ता P.M.G.S.Y लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर	-	19.02.2014	-	03.03.2014	89,50,000	15
73	अस्थायी खण्ड, लो0 नि0वि0 नैनीताल	41	18.08.2014	28.08.2014	12.09.2014	4,50,000	12
74	अस्थायी खण्ड, लो0 नि0वि0 नैनीताल	37	12.08.2014	28.08.2014	12.09.2014	3,00,000	12
75	अस्थायी खण्ड, लो0 नि0वि0 नैनीताल	51	27.08.2014	04.09.2014	12.09.2014	5,00,000	05
76	अस्थायी खण्ड, लो0 नि0वि0 नैनीताल	50	26.08.14	03.09.2004	12.09.2014	6,00,000	06
77	अस्थायी खण्ड, लो0 नि0वि0 नैनीताल	97	29.11.2014	08.12.2014	17.12.2014	25,80,851	06
78	निर्माण खण्ड 2 नैनीताल	110	01.01.2015	06.01.2015	17.01.2015	64,00,0000	08
79	ग्रामीण निर्माण विभाग नैनीताल प्रखण्ड	896	23.01.2015	10.02.2015	18.03.2015	31150398	25
80	ग्रामीण निर्माण विभाग नैनीताल प्रखण्ड	1349	26.03.2014	15.04.2014	29.05.2014	18,30,5650	41
81	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	306	29.08.2014	30.08.2014	12.09.2014	150000	09
82	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	307	29.08.2014	30.08.2014	12.09.2014	616000	09
83	वन वर्धानिक उत्तराखण्ड नैनीताल	-	07.10.2014	-	30.10.2014	300000	25
84	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल	496	07.10.2014	-	30.10.2014	3,00,000	20
85	वन वर्धानिक उत्तराखण्ड, नैनीताल	548	15.10.2014	-	30.10.2014	1,97,0000	12
86	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल	-	30.10.2014	-	25.11.2014	1,11,00000	22
87	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	804	12.11.2014	14.11.2014	05.12.2014	70,00,000	25
88	विघुत एवं यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 भीमताल	2090	25.11.2014	-	13.01.2015	17,39600	45
89	विधुत एवं यांत्रिक	1755	09.10.2014	16.10.2014	17.11.2014	1,12,82,489	28

	खण्ड लो0नि0वि0 भीमताल						
90	अ0अ0सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	सी.49	10.02.2015	11.02.2015	18.02.2015	72,8,000	04
91	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी	1287	24.12.2014	27.12.2014	08.01.2015	50,50,000	09
92	अण्अण्नलकूप मण्डल (यां) हल्द्वानी	4630-4632	26.12.2014	26.12.2014	07.01.2015	80,00,000	09
93	अण अण सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	36	02.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	89,74,000	11
94	अण अण जमरानी बांध निर्माण खण्ड-3 हल्द्वानी	113	29.01.2015	02.02.2015	18.02.2015	12,97,000	13
95	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	1035	26.11.2014	06.01.2015	27.01.2015	2,00,000	18
96	प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	418-426	25.08.2014	27.08.2014	15.09.2014	10,51,46,913	16
97	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैंसडौन	79/10 बजट (साख. सीमा)/ 2014-15/ 31.10. 2014	15.11.2014	-	24.11.2014	4,36,52,000	6
98		4138/1 लेखा. 12/10-11 / 13.11. 2014	14.11.2014	-	27.11.2014	50,00,000	10
99	वित्त नियन्त्रक, सिंचाई खण्ड उत्तराखण्ड, देहरादून	281	21.2.2015	नही दिखाया गया हैं	20.03.2015	1,33,82,000	27
100	वित्त नियन्त्रक, सिंचाई खण्ड उत्तराखण्ड, देहरादून	372	02.02.2015	06.02.2015	16.02.2015	1,68,63,000	10
101	वित्त नियन्त्रक, सिंचाई खण्ड उत्तराखण्ड, देहरादून	255	20.01.2015	03.02.2015	16.02.2015	50,00,000	13
102	कार्यालय प्रमुख	110	01.01.2015	08.01.2015	27.01.2015	38,62,50,00	19

	अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून					0	
103	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून	114	15.01.2015	20.01.2015	28.01.2015	10,89,21,00 0	08
104	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून	121	25.02.2015	27.02.2015	09.03.2015	65,72,000	11
105	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून	108	01.01.2015	02.01.2015	15.01.2015	5,86,57,000	13
106	वित्त नियन्त्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	954	02.01.2015	16.01.2015	28.01.2015	4,68,30,000	12
107	वित्त नियन्त्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	959	03.01.2015	20.01.2015	28.01.2015	12,84,81,00 0	08
108	वित्त नियन्त्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	952	02.01.2015	13.01.2015	28.01.2015	18,00,000	15
109	वित्त नियन्त्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	961	03.01.2015	13.01.2015	28.02.2015	85,00,000	15
110	वित्त नियन्त्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	555	16.10.2014	17.10.2014	31.10.2014	2,19,40,000	14
111	वित्त नियन्त्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	1753	09.05.2014	12.05.2014	24.05.2014	2,00,000	12
112	वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून पिथौरागढ़	41/10 बजट (साख सीमा) 2014.15	18.08.2014	28.08.2014	20.08.2014	35,50,000	10
113	उपकोषागार मसूरी	सी0सी0 एल0	13.06.2014	23.06.2014	-	20,000	11

		1967/ 3.2 IDC140 627008 8					
114		प्राप्त पत्रांक 192/3.5 ID4082 70215	12.08.2014	23.08.2014	-	3,26,000	12
115		प्राप्त CCL.525 / 3.5 ID6141 027022	13.10.2014	27.10.2014	-	2,50,000	15
116	मुख्य अभियंन्ता P.M.G.S.Y देहरादून	07/ 2013	30.09.2013	-	-	12,12,270 (13,00,000)	-
117	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षक वन प्रभाग, लैंसडौन	नि0 984/ (1)/ 3.5 (गुर्जर पुर्नवास)	07.01.2015	19.01.2015	28.01.2015	30,12,500	6
118	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर चमोली	16.03. 2015 शासन	02.03.2015	-	-	1,18,53,470	-
119	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, चमोली	27.03. 2015	24.03.2015	-	-	24,64,410	-
120	निर्माण खण्ड दुगड्डा, कोट्द्वार	प्र0अ0 (विभागाध्यक्ष) 80/10 बजट (साख सीमा)/2 014/15	01.11.2014	12.11.2014	19.11.2014	6,97,143	04
121	सिचाई खण्ड, दुगड्डा, कोट्द्वार	314	28.01.2015	03.02.2015	11.02.2015	1,00,00,000	05
		324	28.01.2015	03.02.2015	11.02.2015	4,83,000	05
		378	12.02.2015	23.02.2015	19.02.2015	3,02,50,000	
		--	10.06.2014	17.06.2014	24.06.2014	4,25,400	04
		4580	03.09.2014	--	--	94.39	--
122	वन प्रभाग, लैंसडाउन, काटद्वार	--	03.05. 2014	03.06.2014	--	6,00,000	--
		610	27.10.2014	31.10.2014	05.11.2014	51,16,000	03
		1130	02.02.2015	--	--	7,70,000	--

(परिशिष्ट-14) पैरा-3.3.10
स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा–कोषागार वार

शासकीय ईकाई का नाम	दिनांक	राशि (₹में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
जिला पंचायत अल्मोड़ा	15.10.2014	92,00,000	SY-13
		96,22,534	
	16.02.2015	70,38,143	
		1,06,30,188	
	18.03.2015	57,79,000	
		51,46,687	
		1,81,30,000	
	26.03.2015	1,14,19,515	
		60,00,000	
नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा	19.05.2014	97,98,844	
	07.06.2014	50,41,156	
	13.08.2014	1,48,40,000	
	18.10.2014	1,48,40,000	
	17.01.2015	68,76,000	
	28.01.2015	1,48,40,000	
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मुनि की रेती, नरेन्द्र नगर		90881	SY-43
जिला विकास अधिकारी, नैनीताल		7,71,54,406	SY-25
B.M.DCB Gpr	02.06.2014	4,84,208	SY-29
A.M.A.Z.P.CMI	16.06.14	1,10,583	
A.M.A.Z.P.CMI	17.06.14	2,16,585	
A.M.A.Z.P.CMI	20.06.14	26,644	
A.M.A.Z.P.CMI	26.06.14	3,53,226	
A.M.A.Z.P.CMI	17.07.14	7,41,119	
A.M.A.Z.P.CMI	17.07.14	3,86,266	
A.M.A.Z.P.CMI	21.07.14	2756	
A.M.A.Z.P.CMI	21.07.14	28,806	
A.M.A.Z.P.CMI	26.07.14	1,17,130	
A.M.A.Z.P.CMI	26.07.14	53,272	
A.M.A.Z.P.CMI	26.07.14	35,958	
A.M.A.Z.P.CMI	08.07.14	3601	
A.M.A.Z.P.CMI	07.14	8,29,223	
A.M.A.Z.P.CMI	09.14	7,68,253	
A.M.A.Z.P.CMI	10.14	6,98,564	
A.M.A.Z.P.CMI	10.14	11,70,437	
A.M.A.Z.P.CMI	11.14	7,19,523	
A.M.A.Z.P.CMI	11.14	2,93,564	
A.M.A.Z.P.CMI	12.14	8,04,798	
A.M.A.Z.P.CMI	01.15	1,27,161	
A.M.A.Z.P.CMI	03.15	6,85,046	
A.M.A.Z.P.CMI	03.15	3,59,480	
A.M.A.Z.P.CMI	03.15	2,60,578	
A.M.A.Z.P.CMI	03.15	16,06,297	
AMAZP (M)	05.14	16,54,266	

M.B.CMI	05.14	74,314	
M.B.CMI	05.14	74,649	
M.B.CMI	06.14	36,782	
M.B.CMI	06.14	9,19,986	
M.B.CMI	06.14	37,325	
M.B.CMI	06.14	5,51,955	
M.B.CMI	07.14	9,14,025	
M.B.CMI	08.14	9,14,472	
M.B.CMI	09.14	9,28,871	
M.B.CMI	09.14	5,491	
M.B.CMI	10.14	8,98,541	
M.B.CMI	10.14	1,01,048	
M.B.CMI	11.14	8,17,970	
M.B.CMI	12.14	9,79,464	
M.B.CMI	02.15	11,40,233	
M.B.CMI	03.15	11,17,805	
	योग	**26,37,31,976**	

(परिशिष्ट-15) पैरा-3.3.12

प्राप्तियों की अनुसूची (एस.ओ.आर) में 15 अंकीय वर्गीकरण का अंकन न होना से सम्बन्धित विवरण

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	चालान सं0	माह	धनराशि (₹में)	चालान में अंकित वर्गीकरण	डेटा बेस में अंकित वर्गीकरण
1	धूमाकोट	12	02.03.2015	160	02100102004	021004103000000
		5	04.03.2015	3950	02020110201	020202101000000
		1	09.03.2015	172	02100102003	021004103000000
		2	10.03.2015	2008	0202011020100	02020201000000
		13	27.03.2015	30000	0070011020000	007001501000000
		15	27.03.2015	4800	0070018001000	007002800000000
2	घाट	1	23.03.2015	-	02100311000	-
		2	23.03.2015	-	02100311000	-
		3	23.03.2015	-	00706080000	-
		5	30.03.2015	-	08530010401	-
		2	31.03.2015	-	08530010001	-
3	कोशियाकुटोली	5	03.03.2015	19	02020110201	020202101000000
		6	03.03.2015	750	02020110202	021001800000000
		7	03.03.2015	100	02020110202	020202101000000
		1	07.03.2015	100	0210041030100	021001800000000
		2	07.03.2015	100	0210041030100	021001800000000
		3	07.03.2015	500	0210041030100	021001800000000
		4	07.03.2015	500	0210041030100	021001800000000
4	बेतालघाट	1	-	2431	-	0853001020100
		2	-	1825	-	4425002000300
		4	-	3125	-	6425008000400
		6	-	1875	-	4425002000300
		7	-	3125	-	6425008000400
		8	-	627	-	0401008001400
		9	-	5200	-	4425001070000
5	थैलीसैंण	01	04.03.2015	220	440100107	4401001070300
		02	04.03.2015	20	005500103	0055001030300
		03	04.03.2015	1020	021001800	0210018000300
		04	04.03.2015	2923	021001800	0210018000300
		05	04.03.2015	403	021001800	0210018000300
		06	04.03.2015	438	021001800	0210018000300
6	पोखरी	13	17.03.2015	-	007060800	-
		14	17.03.2015	-	007060800	-
7	हल्द्वानी	185	04.03.2015	11850234	0040001020100	0040031555948500646
		112	04.03.2015	1917	0040001020400	004003150055872500646
		184	04.03.2015	3122	0040001020100	004003150055948300646
		123	04.03.2015	30330	0040001020100	004003150055881500646
		128	03.03.2015/ 04.03.2015	28220	0040001020100	004003150055892800646
		104	03.03.2015/ 04.03.2015	65000	0040001020100	004003150055861400646
		113	04.03.2015	12054	0040001020400	004003150055873400646
8	चमोली	19	-	3837	02020110201	-
		20	-	2427	02020110201	-

(परिशिष्ट-16) पैरा- 3.3.13

उच्च अधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषागारों में समय से निरीक्षण नहीं करने का विवरण

कोषागार/ उपकोषागार	उच्चाधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण की तिथि			लम्बित निरीक्षण की अवधि (वर्षों में)		
	जिला. अधिकारी/ उप. जिला अधिकारी	निदेशक/ अपर निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी	जिला. अधिकारी/ उप. जिला अधिकारी	निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी
अल्मोड़ा	02.03.2013	24.05.2008	-	3	8	-
बागेश्वर	19.09.2006	कभी नही	-	9	-	-
दन्या	-	-	22.07.2014	-	-	2
देघाट	-	-	07.10.2013	-	-	2
देहरादून	31.03.2014	18.02.2011	-	2	5	-
मंसूरी	-	-	06.01.2014	-	-	2
ऋषिकेश	-	-	31.10.2013	-	-	3
त्यूनी	-	-	कभी नही	-	-	-
विकास नगर	-	-	कभी नही	-	-	-
चकराता	-	-	26.10.2013	-	-	2
देवलथल	-	-	2014-15	-	-	-
धूमाकोट	-	18.11.2014	24.05.2014	-	1	2
द्वाराहाट	-	-	03.02.2015	-		1
गणईगंगोली	-	-	2014-15	-	-	-
गंगोलीहाट	-	-	18.01.2011	-	-	5
नरेन्द्रनगर	22.06.2011	29.01.2011	-	5	5	-
भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली	-	26.02.2014	-	-	2	-
रानीखेत	कभी नही	कभी नही	22.11.2014	-	-	1
लक्सर	कभी नही	कभी नही	10.03.2015	-	-	1
बेतालघाट	-	-	04.02.2015	-	-	1
उपकोषागार हरिद्वार	-	15.05.2012	-	-	4	-
कर्णप्रयाग	जनवरी 2010	-	-	6	-	-
नैनीताल	31.03.2015	-	-	1	-	-
हरिद्वार	-	18.01.2011	-	-	5	-
लैंसडौन	13.03.2004	-	-	12	-	-
चमोली	17.01.2015	18.06.2005	-	1	11	-
उत्तरकाशी	-	10.03.2011	-	-	5	-
कोटद्वार	15.10.2014	13.05.2015	-	1	-	1

(परिशिष्ट-17) पैरा- 3.3.15

कालातीत जी0पी0एफ0 के सामान्य भविष्य निधि के प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं0	कोषागार / उपकोषागार	अभिदाताओं की संख्या	प्राधिकार पत्र की राशि ₹(में)
1	अगस्त्यमुनि	4	6,04,626
2	पौडी	2	50,606
3	रूद्रप्रयाग	1	54,973
		योग	**7,10,205**

(परिशिष्ट-18) पैरा- 3.3.16

नई पेंशन स्कीम/ सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का पेंशनरस/कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटा जाना।

क.सं.	कोषागार / उपकोषागार	पेंशनरस/ कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	बागेश्वर	12	SY-14
2	देवलथल	16	SY-17
3	गणाईगंगोली	4	SY-18
4	गंगोलीहाट	14	SY-16
5	नरेन्द्रनगर	32	SY-43
6	टिहरी	22	SY-42
7	पिथौरागढ़	13	SY-15
8	देवाल	8	SY-32
9	बेतालघाट	6	SY-23
10	थैलीसैंण	23	SY-48
11	उप–कोषागार चमोली	5	SY-30
12	गैरसैंण	8	SY-33
13	कर्णप्रयाग	3	SY-27
14	हल्द्वानी	8	SY-26
15	लैन्सडाउन	7	SY-46
16	कोटद्वार	20	SY-45
17	धूमाकोट	16	SY-47
18	चमोली	1	SY-29
	योग	**218**	

(परिशिष्ट-19) पैरा- 3.3.17
वेतन मद के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष -Adverse Balance

आहरण वितरण अधिकारी	Transaction दिनांक	राशि व्यय	अवशेष (Adverse)
Dy, Education officer	30.02.2016	1,02,37,617	34,89,716
Dy,Education officer	16.02.2016	2,59,856	37,49,612
Dy,Education officer	16.02.2016	24,470	37,74,082
Dy,Education officer	02.07.2015	10,69,870	2,97,937
Dy,Education officer	31.10.2015	10,73,350	6,09,497

(परिशिष्ट-20) पैरा- 3.4.1
पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभो के कम या अधिक भुगतान का विवरण(₹में)

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार / पेंशनर की संख्या	देय राशि			भुगतानित राशि			भुगतान का अन्तर		कम या अधिक भुगतान के कारणों से सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या	कोषागार द्वारा की गई कार्यवाही
		राशिकरण	उपादान	पेंशन	राशिकरण	उपादान	पेंशन	अधिक	कम		
1	बागेश्वर /17	1,31,465	23,14,423	-	3,27,260	20,48,480	-	33,231	1,03,197	SY-14	कार्यवाही नहीं की गई
2	देघाट /4	3,53,194	8,03,748	-	3,57,203	7,67,052	-	4,009	44,396	SY-11	कार्यवाही नहीं की गई
3	देवलथल /6	3,10,781	7,24,078	-	3,20,918	6,82,442	-	10,137	3,00,239	SY-17	कार्यवाही नहीं की गई
4	टिहरी/ 11	5,92,134	14,32,927	-	4,68,288	13,53,390	-	499	1,39,516	SY-42	कार्यवाही नहीं की गई
5	देवाल /1	-	-	-	-	-	-	49,767	-	SY-32	कार्यवाही नहीं की गई
6	पाटी /3	4,83,970	13,55,954	-	4,89,463	12,85,862	-	5,493	70,092	SY-36	कार्यवाही नहीं की गई
7	कर्णप्रयाग /17	3,42,969	44,09,168	7,45,200	3,47,055	42,67,284	6,57,450	4,11,531	2,20,284	SY--27	कार्यवाही नहीं की गई
8	सतपुली /2	-	10,94,906	-	-	11,64,395	-	84,323	14,834	SY-8	कार्यवाही नहीं की गई
9	उपकोषागार चमोली/2	-	2,37,737	-	-	2,28,228	-	18,743	-	SY-30	कार्यवाही नहीं की गई

10	गैरसैंण /21	-	8773860	558900	0	8551011	490050	91620	623514	SY-33	कार्यवाही नहीं की गई
11	जसपुर /7	-	24,87,676	-	-	23,92,762	-	-	1,03,839	SY-38	कार्यवाही नहीं की गई
12	चम्पावत /2	-	13,19,209	-	-	15,16,329	-	1,97,120	-	SY-34	कार्यवाही नहीं की गई
13	Å[kheB /2	-	12,88,370	-	-	12,80,301	-	32,538	40,607	SY-2	कार्यवाही नहीं की गई
14	देहरादून /13	-	15,89,429	-	-	15,08,942	-	43,704	94,035	SY-22	कार्यवाही नहीं की गई
15	गंणई गंगोली /6	-	9,71,620	-	-	9,23,984	-	1,342	79,268	SY-18	कार्यवाही नहीं की गई
16	गंगोलीहाट /4	11,10,203	-	-	10,67,682	-	768	42,521	-	SY-16	कार्यवाही नहीं की गई
17	त्यूनी /6	-	9,41,490	-	-	8,97,204	-	2,63,236	44,286	SY-51	कार्यवाही नहीं की गई
18	रूड़की /2	4,00,981	50,752	1,00,640	3,84,069	52,507	91,632	7,065	31,230	SY-44	कार्यवाही नहीं की गई
19	अल्मोड़ा /4	-	15,97,615	-	-	15,13,480	-	84,085	41,946	SY-13	कार्यवाही नहीं की गई
20	vxLR;eqfu /3	-	13,79,663	-	-	13,10,399	-	-	69,264	SY-3	कार्यवाही नहीं की गई
21	nsoiz;kx /1	-	4,38,554	-	-	4,08,309	-	-	30,245	SY-04	कार्यवाही नहीं की गई
22	धूमाकोट /3	-	20,52,961	-	-	19,66,112	-	-	86,849	SY-47	कार्यवाही नहीं की गई
23	द्वाराहाट /3	-	1206,534	-	-	11,57,673	-	-	48,861	SY-09	कार्यवाही नहीं

											की गई
24	नरेन्द्रनगर /8	-	31,05,895	-	-	29,74,274	-	1,098	1,31,621	SY-43	कार्यवाही नहीं की गई
25	पौड़ी /2	-	3,85,829	-	-	3,69,609	-	-	16,220	SY-07	कार्यवाही नहीं की गई
26	पिथौरागढ़ /14	-	13,14,390	-	-	12,55,812	-	-	3,08,562	SY-15	कार्यवाही नहीं की गई
27	रानीखेत /1	-	4,38,900	-	-	4,24,050	-	-	14,850	SY-10	कार्यवाही नहीं की गई
28	रूद्रप्रयाग /4	-	22,36,103	-	-	21,46,015	-	-	90,088	SY-1	कार्यवाही नहीं की गई
29	Jhuxj /4	-	26,22,175	-	-	25,20,299	-	-	1,01,876	SY-5	कार्यवाही नहीं की गई
30	घाट /3	-	9,65,338	-	-	8,97,475	-	-	67,863	SY-31	कार्यवाही नहीं की गई
31	कोश्याकुटोली /2	-	6,52,584	-	-	6,22,112	-	-	30,472	SY-24	कार्यवाही नहीं की गई
32	बेतालघाट /2	-	7,04,962	-	-	6,76,441	-	-	28,521	SY-23	कार्यवाही नहीं की गई
33	काशीपुर /2	-	14,57,139	-	-	13,80,447	-	-	76,692	SY-39	कार्यवाही नहीं की गई
34	गदरपुर /6	-	29,64,161	-	-	28,42,777	-	-	1,21,384	SY-40	कार्यवाही नहीं की गई
35	उपकोषागार हरिद्वार/2	-	9,82,700	-	-	9,55,010	-	-	27,870	SY-20	कार्यवाही नहीं की गई
36	किच्छा /4	-	10,87,615	-	-	10,45,784	-	-	41,831	SY-41	कार्यवाही नहीं की गई

37	पोखरी /1	-	8,10,101	-	-	7,87,281	-	-	22,820	SY-28	कार्यवाही नहीं की गई
38	टनकपुर /4	-	7,52,095	-	-	7,17,454	-	-	34,641	SY-37	कार्यवाही नहीं की गई
39	नैनीताल /9	-	62,74,360	-	-	60,23,252	-	-	2,51,108	SY-25	कार्यवाही नहीं की गई
40	हल्द्वानी /2	-	13,65,243	-	-	13,16,189	-	-	49,054	SY-26	कार्यवाही नहीं की गई
41	कोषागार हरिद्वार /1	-	3,41,295	-	-	3,24,230	-	-	17,065	SY-19	कार्यवाही नहीं की गई
42	लैंसडौन /3	-	15,55,337	-	-	15,11,900	-	-	43,437	SY-46	कार्यवाही नहीं की गई
43	चमोली /3	-	10,82,582	-	-	10,31,086	-	-	1,34,446	SY-29	कार्यवाही नहीं की गई
44	उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा एवं कार्यालय नई दिल्ली /2	-	-	-	-	-	-	-	3,95,508	SY-49	कार्यवाही नहीं की गई
45	मसूरी /1	-	-	-	-	-	-	-	8,500	SY-15	कार्यवाही नहीं की गई
46	लक्सर /1	2,27,924	3,44,223		223205	3,28,928			20,014	SY-21	कार्यवाही नहीं की गई
47	कोटद्वार/1		7,63,100			7,24,945			38,155		
	योग	**39,53,621**	**6,86,76,801**	**14,04,740**	**39,85,143**	**6,61,51,516**	**12,39,900**	**13,82,062**	**42,59,100**		

(परिशिष्ट-21) पैरा- 3.4.2
सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को कार्यालय डी0पी0डी0ओ0 देहरादून/ बैंक को हस्तान्तरित ना करना।

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार	सैनिक पेंशनर
1	अल्मोड़ा	24
2	बागेश्वर	205
3	दन्या	11
4	देहरादून	09
5	गंणई गंगोली	58
6	गंगोलीहाट	29
7	पिथौरागढ़	94
8	सतपुली	685
9	देवाल	25
10	घाट	116
11	उपकोषागार चमोली	42
12	गैरसैंण	214
13	पोखरी	14
14	टनकपुर	24
15	कर्णप्रयाग	350
16	लैंसडौन	223
17	चमोली	20
18	कोटद्वार	55
	योग	**2198**

(परिशिष्ट-22) पैरा- 3.4.3
अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ नहीं दिया जाना।

क्रम सं0	कोषागार उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	कम भुगतानित राशि (₹में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	बागेश्वर	5	बिहार	12,000	SY-14
2	देघाट	1	हिमालच प्रदेश	12,100	SY-11
		1	असम	52,200	
		1	मणिपुर	18,600	
		1	गुजरात	6,400	
3	देहरादून	5	गुजरात	10,800	SY-22
		1	पश्चिम बंगाल	15,600	
		1	नागालैण्ड	1,200	
		1	आन्ध्र प्रदेश	2,400	
		4	पंजाब	24,000	
		4	हरियाणा	24,000	
		13	अरुणाचल प्रदेश	32,400	
		1	त्रिपुरा	1,800	
		3	झारखण्ड	9,600	
		7	हिमाचल प्रदेश	29,120	
4	देवलथल	3	बिहार	3,300	SY-17
		1	अरूणाचल प्रदेश	16,400	
		1	अरूणाचल प्रदेश	16,400	
5	देवप्रयाग	2	हरियाणा	76,000	SY--4
		4	पंजाब	1,36,000	
6	द्वाराहाट	18	बिहार	18,000	SY-9
		1	असम	9,500	
		1	हिमाचल प्रदेश	12,100	
		1	मणिपुर	10,800	
7	गंणई गंगोली	8	बिहार	8,800	SY-18
		1	अरूणाचल प्रदेश	8,200	
		1	हरियाणा	19,500	
8	गंगोलीहाट	2	गुजरात	13,200	SY-16
		1	अरूणाचल प्रदेश	11,700	
9	लोहाघाट	1	झारखण्ड	25,200	SY-35
		1	पश्चिम बंगाल	24,000	
		1	हरियाणा	37,500	
		1	पंजाब	38,000	
		1	आसाम	26,400	
		2	बिहार	6,400	
		2	अरूणाचल प्रदेश	28,600	

10	नरेन्द्रनगर	1	बिहार	3,800	SY-43
		1	हिमाचल प्रदेश	3,400	
11	नई टिहरी	1	हरियाणा	21,250	SY-42
		1	अरूणाचल प्रदेश	8,900	
		4	हिमाचल प्रदेश	20,400	
		9	पश्चिम बंगाल	30,600	
		2	गुजरात	8,200	
12	पौड़ी	7	त्रिपुरा	78,750	SY-7
		2	अरूणाचल प्रदेश	31,600	
		5	पश्चिम बंगाल	93,600	
		4	बिहार	6,400	
		1	आन्ध्र प्रदेश	6,200	
		1	हिमाचल प्रदेश	8,400	
		1	पंजाब	45,700	
		2	नागालैण्ड	25,000	
		1	मणीपुर	12,000	
13	पिथौरागढ़	8	अरूणाचल प्रदेश	65,600	SY-15
		5	पश्चिम बंगाल	75,000	
		2	गुजरात	13,200	
		1	नागालैंड	18,900	
14	रानीखेत	4	बिहार	16,800	SY-10
		1	गुजरात	9,630	
		1	अरूणाचल प्रदेश	24,600	
15	सतपुली	5	गुजरात	58,500	SY-8
		1	बिहार	2,000	
		1	पंजाब	2,000	
16	देवाल	1	बिहार	2,800	SY-32
17	घाट	1	मणिपुर	13,200	SY-31
18	कोश्याकुटोली	1	बिहार	1,300	SY-24
19	लक्सर	2	हिमाचल प्रदेश	1,32,432	SY-21
20	त्यूनी	2	हिमाचल प्रदेश	13,150	SY-51
21	काशीपुर	8	--	1,78,600	SY-9
22	उपकोषागार चमोली	14	पश्चिम बंगाल	2,18,400	SY-30
		1	बिहार	2,800	
		2	असम	21,000	
		1	हिमाचल प्रदेश	10,500	
23	गदरपुर	2	पश्चिम बंगाल	43,200	SY-40
24	गैरसैंण	2	हरियाणा	40,500	SY-33
		1	मणिपुर	19,800	
		2	मेघालय	1,09,500	
25	उपकोषागार हरिद्वार	3	हिमाचल प्रदेश	21,370	SY-20
26	किच्छा	3	पश्चिम बंगाल	96,600	SY-41

27	पाटी	1	हरियाणा	1,232	SY-36
		1	अरूणाचल प्रदेश	26,100	
		1	बिहार	3,200	
28	पोखरी	1	गुजरात	7,200	SY-28
		19	पश्चिम बंगाल	2,96,400	
		2	बिहार	2,800	
		3	हिमाचल प्रदेश	31,500	
		2	हरियाणा	40,500	
		1	त्रिपुरा	20,250	
		1	असम	10,500	
29	टनकपुर	1	गोवा	17,400	SY-37
		1	मणीपुर	20,400	
		1	अरूणाचल प्रदेश	8,700	
		1	हिमाचल प्रदेश	11,200	
		1	असम	11,000	
		1	मेघालय	52,500	
30	जसपुर	1	हरियाणा	37,500	SY-38
31	कर्णप्रयाग	1	गुजरात	7,200	SY-27
		51	पश्चिम बंगाल	7,95,600	
		2	बिहार	2,800	
		1	आन्ध्र प्रदेश	13,600	
		3	पंजाब	48,750	
		1	हरियाणा	40,500	
		2	त्रिपुरा	36,450	
		3	अरूणाचल प्रदेश	12,750	
32	चम्पावत	1	मेघालय	3,200	SY-34
		1	बिहार	52,500	
33	हल्द्वानी	1	असम	3,750	SY-26
34	हरिद्वार	3	पश्चिम बंगाल	7,200	SY-19
		2	बिहार	4,000	
		6	हिमाचल प्रदेश	21,240	
		1	हरियाणा	3,000	
		1	झारखण्ड	3,600	
		2	गुजरात	46,240	
35	लैंसडौन	1	जम्मू कश्मीर	7,200	SY-46
		1	बिहार	19,000	
36	रूड़की	1	पश्चिम बंगाल	16,800	SY-44
		3	बिहार	6,000	
37	चमोली	1	असम	9,750	SY-29
		1	नागालैण्ड	5,600	
38	उत्तरकाशी	1	बिहार	1,600	SY-6
			योग	**41,80,514**	

(परिशिष्ट-23) पैरा- 3.4.4
10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

क्र.सं.	कोषागार/उपकोषागार	पेंशनरस की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	1	SY-49
2	मसूरी	4	SY-50
3	घाट	1	SY-31
4	देवाल	1	SY-32
5	त्यूनी	2	SY-51
6	पोखरी	1	SY-28
7	चमोली	3	SY-29
	योग	**13**	

(परिशिष्ट-24) पैरा- 3.4.5

पैरा- छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

कोषागार	पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर का नाम (श्री/ श्रीमती)		पी0पी0ओ0 संख्या	विवरण हेतु निम्न निरीक्षण आख्या का सन्दर्भ लें
अल्मोड़ा	1	हसली देवी, पत्नी श्री बच्ची सिंह	UP-U/1378	SY-13
	2	बच्ची सिंह	UP-U- 1378	
बागेश्वर	3	देवकी देवी, पत्नी स्व0 श्री विम सिंह वितवाल	UC2/028/8295	SY-14
दन्या	4	जानकी जोशी, पत्नी स्व0 श्री कृष्णा नन्द जोशी	UC2/028/6783	SY-12
देवप्रयाग	5	घनष्याम सिंह	Pb-U/148	SY-4
पौड़ी	6	बसन्ती देवी (राजस्थान सरकार)	009 F 000751	SY-7
	7	सिल्ला देवी (नागालैंड सरकार)	006 F 00067	
	8	यश राम (हरियाणा सरकार)	016500692	
	9	गियाना देवी (पश्चिम बंगाल सरकार)	003 F 00782	
	10	सुसीला देवी, (पश्चिम बंगाल सरकार)	003 F 02038	
	11	सरोजनी देवी, (महाराष्ट्र सरकार)	012 F 00168	
रानीखेत	12	पुष्पा देवी, पत्नी स्व0 श्री हीरा बल्लभ पपने	UC1/055/13686	SY-10
	13	हीरा देवी	BSA 60	
	14	कान्ती देवी	BSA 476	
	15	हीरादेवी	BSA 640	
	16	कमला कुल्बे	EDU/K/421	
	17	कमला देवी	KU/421	
	18	चम्पा देवी	KU/238	
	19	श्रीमती जया नैनवाल	KU/475/MA	
मसूरी	20	सावित्री उनियाल	HC/921	SY-50
	21	कु0 मंजरी चौधरी	JDEDU-PAURI	
	22	भुवनेश्वरी गोदियाल	957/97-98	
	23	पुष्पा ऐस्तर मनी	UC1/163/9691	
	24	शारदा देवी	UCI/164/12194	
	25	कमला बिष्ट	UCI/164/003457	
	26	बसन्ती देवी	C01F13243	
	27	रूद्रा देवी	C01F20697	
	28	सरोजनी दवी	C01F20414	
	29	सुशीला देवी	C03F02172	
	30	रूद्रा देवी	C01F16959	
रूद्रप्रयाग	31	संतोषी देवी	C01F12466	SY-1

(परिशिष्ट-25) पैरा- 3.4.7
बैंक ड्राफ्टस को विलम्ब से शासकीय खातों में जमा करने के सम्बन्ध में।

कोषागार/ उपकोषागार	धनराशि	बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति का दिनांक	बैंक में जमा करने/ वसूली हेतु पत्र की दिनांक	विलम्ब की अवधि (दिन में)
नरेन्द्रनगर	17,896	09.01.2015	18.03.2015	67
	29,470	13.01.2015	18.03.2015	63
	1,502	04.01.2015	18.03.2015	73
	54,809	16.07.2014	12.08.2014	27
	3,300	02.06.2014	21.07.2014	49
	6,067	03.05.2014	09.06.2014	37
	4,424	15.04.2014	09.06.2014	55
घाट	38,586	30.12.2013	09.01.2014	9
	8,470	30.12.2013	09.01.2014	9
	9,640	05.02.2014	21.02.2014	16
	20,445	05.02.2014	21.02.2014	16
	6,390	14.02.2015	12.03.2015	25
	56,100	14.02.2015	12.03.2015	25
	12,235	15.03.2015	12.05.2015	58
	73,898	03.07.2015	13.07.2015	10
	17,295	15.07.2015	24.07.2015	9
देवाल	13,330	20.08.2015	02.07.2015	48
	21,387	20.05.2015	22.04.2015	28
गैरसैंण	49,705	16.07.2014	28.05.2014	49
	4,200	22.04.2015	04.08.2014	258
	60,308	27.02.2015	04.08.2014	203
	5,609	22.04.2015	13.02.2015	69
योग	**5,15,066**			

(परिशिष्ट-26) पैरा- 3.4.8
पेंशनरों से स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किये जाने की तालिका

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	वित्तीय वर्ष	देय आयकर + सैस-कटौती (₹ में)	निरीक्षण आख्या संख्या
1	अल्मोड़ा	2	2014-15	1,30,230	SY-13
2	बागेश्वर	2	2014-15	2,767	SY-14
3	दन्या	2	2014-15	12,506	SY-12
4	देघाट	3	2013-14	10,185	SY-11
		3	2014-15	4,772	
5	देवलथल	1	2014-15	602	SY-17
6	धूमाकोट	2	2014-15	11,060	SY-47
7	गंणई गंगोली	2	2014-15	13,557	SY-18
8	नरेन्द्रनगर	4	2014-15	35,196	SY-43
9	पौड़ी	4	2014-15	22,838	SY-7
10	पिथौरागढ़	9	2014-15	3,02,236	SY-15
11	रानीखेत	3	2013-14	60,335	SY-10
		3	2014-15	71,317	
12	मसूरी	8	2014-15	3,10,960	SY-50
13	कर्णप्रयाग	4	2014-15	37,123	SY-27
14	नैनीताल	9	2014-15	4,46,829	SY-25
15	हल्द्वानी	11	2014-15	5,17,343	SY-26
16	लैन्सडाउन	1	2014-15	4,763	SY-46
17	चमोली	1	2014-15	39,495	SY-29
18	गंगोलीहाट	1	2014-15	91,089	SY-16
			योग	**19,94,973**	

(परिशिष्ट-27) पैरा- 3.5.1
₹ 3,91,30,425 /- से अधिक जमाओं का व्यपगत न किया जाना।

क्रम सं0	कोषागार उपकोषागार	मुख्य लेखाशीर्ष / विवरण	वित्तीय वर्ष धनराशि ₹में 2011-12	वित्तीय वर्ष धनराशि ₹में 2014-15
1	देहरादून	रेवेन्यु डिपोजिट	3,51,42,405	-
		सिक्योरिटी डिपोजिट	1,84,280	1,94,720
		इलेक्शन डिपोजिट	16,00,020	-
2	हल्द्वानी	सिक्योरिटी जमा	-	1,86,153
		इलेक्शन जमा	-	20,000
		वन जमा	-	950
		सिविल कोर्ट जमा	-	4,62,742
3	रूड़की	सिविल कोर्ट जमा	-	13,21,255
4	चमोली	सिविल कोर्ट जमा	-	**17,900**
		योग	**3,69,26,705**	**22,03,720**
			कुल योग	**3,91,30,425**

(परिशिष्ट-28) पैरा- 3.5.2
जमा शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष।

विभाग का नाम	Transaction Date	विवरण	रू0
नगर पंचायत Landora	17.07.2015	OB	538336
		Receipt	Nil
		Payment	604388
		C.B	–66051
	17.07.2015	OB	–66051
		Receipt	Nil
		Payment	992530
		C.B	–1058581
	01.08.2015 से 31.08.2015	OB	–1058581
		Receipt	Nil
		Payment	1775013
		C.B	–2833594